

UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

Advertisement No. D-3/E-1/2025 Date: 20.06.2025

DATE OF COMMENCEMENT OF ONLINE APPLICATION: 20.06.2025

LAST DATE FOR THE PAYMENT OF ONLINE APPLICATION FEE IN THE BANK & SUBMISSION OF ONLINE APPLICATION: 21.07.2025 LAST DATE FOR CORRECTION/MODIFICATION IN SUBMITTED ONLINE APPLICATION AND FEE RECONCILIATION: 28.07.2025 LAST DATE AND TIME FOR SUBMISSION OF HARD COPY OF ONLINE APPLICATION ALONGWITH DOCUMENTS: 04.08.2025 (Till 05:00 PM)

IMPORTANT

(1) (a) It is mandatory for the candidates to make One Time Registration (O.T.R.) and obtain O.T.R. Number before applying online.

(b) Those Candidates who have not obtained O.T.R. Number, must obtain it from commission's website <u>https://otr.pariksha.nic.in</u> 72 hours before the submission of Online application.

(c) Only after obtaining O.T.R. Number a candidate may submit online application through commission's website https://uppsc.up.nic.in.

(2) At the time of online application the candidates are directed to ensure the preservation of information regarding all the stages (i.e. O.T.R., Fee payment, Final submission, Qualification related modification/Error correction etc.) in Soft/Hard copy for future references.

(3) The candidates must carefully study the detailed advertisement and may apply for the post only when they are eligible for the concerned post.

NOTE- (1) Candidates after submitting their applications through online shall send self attested photo copies of their all academic/required documents regarding their claims along with printout of online form till 05:00 P.M. of last date for submission of hard copy of online application alongwith documents through registered/ speed post or by hand in the office of the Commission. In absence of required relevant documents, the claim made by the candidates shall not be tenable and relevant documents received after prescribed last date in the office of the Commission will not be accepted. (2) The candidates are advised to login to the 'Candidate Dashboard (O.T.R. Based)' on the commission's website download and take printout of the autofilled address-slip and paste it on the envelope containing application and

(3) The envelope should be of A-4 size. In case of applying for more than one post candidates must send their application form & documents etc. for each post in a separate envelope. (4) If the candidate does not paste autofilled address slip on the envelope, his/her candidature may be cancelled by the Commission.

SPECIAL NOTICE :- (a) The candidates will be entirely responsible for on-line submission of application. The application of the candidate will be accepted only after the payment of the fee in the bank till the last date. (b) Candidates are also directed to visit the website of the commission continuously for updates regarding information/ instructions. All future information/instructions will be sent to the registered mobile number and email ID as linked in O.T.R. by SMS or email.

1. IMPORTANT INFORMATION FOR CANDIDATES **APPLYING ONLINE**

This advertisement is available on the website of the commission https://uppsc.up.nic.in. 'O.T.R. BASED APPLICATION' system is applicable for applying against this advertisement. Application sent through any other medium will not be accepted, therefore, candidates have to apply online only.

The candidates applying online are expected to go through the following instructions thoroughly and apply

When the candidate clicks on the "ALL NOTIFICATIONS/ https://uppsc.up.nic.in, the ONLINE ADVERTISEMENTS | as cancelled. will automatically be displayed, which has following 3 parts:-

- (i) User Instructions
- (ii) View Advertisement

(iii) Apply

The Instructions for filling Online form have been given in User Instructions. The candidates desirous to see the respective advertisement will have to click on "View displayed alongwith Sample Snapshots of Online Application procedure.

'Online Application' will be completed in four stages given below:-

First Stage: - On clicking 'Apply', 'Authenticate with **O.T.R.'** will be displayed with respect to the examination and on clicking 'Authenticate with O.T.R.', 'Have You Completed Your O.T.R. Registration' will be displayed, in which the candidate will have to tick 'Yes' or 'No'. If the candidate:-

(i) Ticks on 'Yes' and clicks on 'Go' button, then 'Enter (5) The candidature of such candidates who are your O.T.R. Number' will be displayed wherein he/she has to fill O.T.R. Number and click on 'Proceed' button. On

be displayed, clicking whereupon the candidate may shall be final. authenticate through O.T.P. (received on his/her registered (6) The Application/candidature will be rejected/cancelled, if the process of Authentication, all personal details of the candidate (as filled in O.T.R.) will be displayed automatically. The candidate will have to fill only essential qualification as required for the post.

(ii) Ticks on 'No' and clicks on Go button then:- (a) First o all, the candidate has to obtain One Time Registration Number from O.T.R. Web-portal (https://otr.pariksha.nic.in) of the Commission. (b) After obtaining O.T.R. number the candidate will have to apply online according to the process adopted in First Stage.

Second Stage: The First Stage procedure having been completed the 'Applicant Dashboard' will automatically be displayed on the screen. The candidate will have to click or 'Submit Details' under 'Application Part-2' against applied post, thereafter the permanent and correspondence address along with application form will automatically be displayed on the screen from O.T.R. along with the preferential qualifications prescribed for the post. The candidate wil have to choose Yes/No option against each preferentia qualification.

Third Stage:- After the completion of the procedure of Second Stage, 'Fee Confirmation Window' will all other future examinations and selections. automatically be displayed on the screen under which upon 9. In case the candidates present at the time of document clicking on 'Yes' option in front of 'Proceed for fee payment' home page of 'SBI MOPS' will be displayed comprising of 03 modes of payment:- (i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS and (iii) OTHER PAYMENT MODES.

After payment of the required fee by any one of the above prescribed modes, 'Payment Transaction Slip' shall be displayed alongwith detail of fee payment, the print of which must be taken by clicking on printer icon. In the event o 'Payment Failed' the candidate has to go to 'Candidate Dashboard login' and after filling the O.T.R. number proceed to authenticate through O.T.P. or O.T.R. password and after login click on 'Pending Payment' to pay the fee, compulsorily for online application.

Note: It is mandatory to make payment in the 'ONLINE APPLICATION' Process by the candidate till the last date of fee in the bank and time fixed for it. Candidates should take a print out of the same and keep it safe.

Fourth Stage: - After completing the procedure of the Third Stage the application form of the candidate will automatically be displayed on screen the print of which may be obtained by the candidate. The candidate will have to take the print of online application and keep it safe with himself herself to produce it in the office of the commission wher required in case of any discrepancy, else his/her request/ claim will not be accepted. After applying, in case of any modification in the qualification of applied post, the candidate may click on 'Candidate Dashboard Login' of 'Home Page' to modify it only once till last date for correction/modification and time fixed for it.

Special Instructions

The category, sub-category, domicile, gender, date of birth, E.W.S., creamy layer, name and address as claimed by the candidates till the last date/modification date of online application only will be considered valid. No representation for any change will be entertained after the last date. Or ADVERTISEMENTS" in the Commission's website fetching wrong information, the candidature will be treated

> (2) If the claim made by the candidate in the application is and other punitive action may also be taken.

be debarred from this selection and all other future recognised by the Government as equivalent thereto, examinations and selections upto a maximum period of five years for furnishing any wrong information in his/her application form which cannot be substantiated by relevant documents or for any other malpractice.

(4) If any change is to be made in the personal detail mentioned in the O.T.R. it will be mandatory to Synchronise 18.10.2024 के अनुसार कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-02/2024/ it on the Dashboard after that change, otherwise change will 1733973 / 47 / का-2- 2024, दिनांक 24 जून, 2024 द्वारा सहायक not be allowed. In this regard any on-line/off-line representation will not be accepted for error correction/amendment.

subsequently found ineligible according to the terms laid down in advertisement will be cancelled. The decision of

clicking 'Proceed' button, 'Click here to Authenticate' will the Commission regarding eligibility of the candidates

mobile no./email ID) or O.T.R.-password. Having completed the Application form is incomplete not submitted on prescribed format, date of birth is not mentioned or wrong date of birth is mentioned, candidate is overage, under age, does not possess the minimum educational qualifications applications received after last date and cases of no signature under declaration in the format and no correspondence/ representation in this regard shall be entertained.

> (7) The Commission may admit the candidates provisionally after summarily checking their applications but if it is found at any stage that applicant was not eligible or his/her application was not entertainable even at preliminary stage, his/her candidature will be rejected and if the candidate is selected and recommended by the Commission, the recommendation made by the Commission for the appointment shall be withdrawn.

> (8) In the event of involvement of a candidate in the concealment of any important information, pendency of any case / criminal case, conviction, more than one husband or wife being alive, submission of facts in a distorted manner, malpractice, canvassing for candidature/selection etc, the commission reserves the right to reject the candidature and debar him from appearing in the selection in question and in

> verification do not present the required documents, it will be mandatory for them to submit the same within the period prescribed for this purpose as per the decision of the hon'ble commission. In case the candidate does not present the required documents within the said period, the candidature of the candidate will be cancelled. If any candidate does not appear for document verification on the date prescribed for verification of origional documents, assuming that he/she is not interested for the post in question, his candidature will be

> 2. Application Fee: After completing the process of First and Second Stage in the online application process, deposit the fee category wise as per the instructions given in the Third Stage. The prescribed fee is as follows:-

Unreserved/ Economically Weaker Sections/ Other Backward Classes

- Application fee Rs. 80/- + On-line process fee Rs. 25/- Total = Rs. 105/-

(ii) Scheduled Castes/ **Scheduled Tribes**

-Application fee Rs. 40/- + On-line process fee Rs. 25/- Total = Rs. 65/-

(iii) Disabled Category

- Application fee NIL/- + On-line process fee Rs. 25/- Total =

(iv) Ex-Servicemen

-Application fee Rs. 40/- + On-line process fee Rs. 25/- Total =

(v) Dependents of the Freedom Fighters/ Women/Skilled Player

- According to their original category

Environment, Forest and Climate Change Department, Uttar Pradesh

Deptt. No. S-02/04, Name of the Post: Statistics Officer Number of Vacancies: 04 (Categorywise number of vacancies:- Vertical Reservation-03-UR, 01-0BC, Horizontal Reservation-NA.), Nature of Post: Group-B, not found to be true, if at any stage it comes to the knowledge Gazetted. Pay Scale: Level-10, Pay Scale- (Min.) 56100of the commission that the candidate has concealed or (Max.) 177500/- Age Limit: 21 to 40 (Age relaxation is misrepresented any information, his candidature shall be permissible as per rules.) Academic Qualifications (A) rejected and action may be taken to debar him/her from this Essential Qualification:- (i) Post Graduate Degree in and all future selections/ examinations of the commission Mathematics or Mathematical Statistics Or Commerce or Economics Or Statistics with at least 55% marks from a Advertisement". Thereafter, a full advertisement will be (3) As per decision of the UPPSC, a candidate will be liable to University Established by Law in India or a qualification

Two years Post Graduate Diploma in Statistics from an Institute recognised by the Government. (ii) Knowledge of Hindi in Devnagri script. Equivalent Qualification:- पर्यावरण, वन एवं जलवाय परिवर्तन अनभाग—१ के पत्र सं0—1079 / 81—1—2024 दिनांक सांख्यिकीय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकीय) के सीधी भर्ती के पद पर चयन हेतु निर्धारित गयी गयी समकक्ष अर्हता के अनुरूप है जो Appendix-2 पर उपलब्ध है। (B)Preferential Qualification:-A candidate, who has-(1) Served in the Territorial Army for a

of National Cadet Corps, shall other things being equal, be certificate of the competent authority of Army, Navy, Air किया गया हो। given preference in the matter of direct recruitment

Note:- प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की केवल एल.वी.,डी., एच.एच., ओ.ए ओ.एल, बी.एल., डी.डब्ल्यू., ए.ए.वी. एवं एम.डीवाई उपश्रेणियां ही चिन्हांकित हैं।

Relevant Service Rules Of the Post The Uttar Pradesh Department Statistical Service Rules, 2012.

Department of Geology and Mining, Uttar Pradesh Deptt No. S-6/02, Name of the Post: Assistant Geologist. Number of Vacancies: 02, Categorywise number of Army on tendering resignation, (c) he has been released vacancies:- Vertical Reservation-02-UR, Horizontal from the Army on grounds of misconduct or physical Reservation- NA. Nature of Post: Group-B, Gazetted. disability or on his own request and who gets gratuity. Pay Scale: Level-10, Pay Scale-Rs. 56100-177500/- Age 4. After receipt of application in the Commission, any Limit: 21 to 40 (Age relaxation is permissible as per rules.) request for change in the qualification and category will not Academic Qualifications:- (A) Essential Qualification:- be entertained. Master's degree in Geology or Applied Geology from a 5. The original certificates are required for verification at the University established by law in India or Diploma from Indian time of interview. Candidate will then also be required to School of Mines & Applied Geology Dhanbad in Applied submit his/her passport size photograph attested by head of Geology with at least 50 percent marks in the aggregate. (B) department or head of the institution, where he/she received Preferential Qualification:- A candidate, if he- (1) Has last education or by a Gazetted Officer. Served in the Territorial Army for a minimum period of two 6. Candidates serving under Central or State Governmen years; or (2) Has Obtained a 'B' certificate of National Cadet will have to produce "NO OBJECTION CERTIFICATE" from Corps, shall other things being equal, be given preference in their employer at the time of interview. the matter of direct recruitment.

Note:- प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की कोई उपश्रेणियां चिन्हांकित नहीं है।

Relevant Service Rules Of the Post

The Uttar Pradesh Geology and Mining (Group 'A' and B') Service Rules, 2019 (As amended)

Note:- The number of vacancies of all the mentioned posts may increase/decrease depending upon the circumstances requirements.

Instructions related to the selection process

- 1. Minimum educational qualification is not sufficient for being called for interview. Mere eligibility does not entitle a candidate to be called for interview or for selection. Intimation for interview will be sent later on.
- 2. In case of large number of applicants for the post/ posts, the Commission may hold screening test, which will be communicated in due course of time. Under the conditions of holding screening test (Objective Type), penalty (Negative Marking) shall be imposed for wrong answers given by the candidates in the manner given below--
- (a) There are four alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, one third (0.33) of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.
- (b) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as wrong answer even if one of the given answer happens to be correct and there will be same penalty as above for that question.
- (c) If a question is left blank i.e. no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question.
- 3. At the time of examination, candidates must fill all the information sought on the OMR Answer Sheet correctly by blackening the concerned circles, which are decipherable by the scanner machine. The Commission will evaluate OMR Answer Sheet only on the basis of information given by blackening the concerned circles of OMR Answer Sheet. The candidates are also directed not to use whitener, blade, pin or rubber etc. on the OMR Answer Sheet. In case of not blackening the circles properly in the OMR Answer Sheet and filling any information incorrectly, the Commission shall not evaluate such OMR Answer Sheet for which candidates themselves shall be wholly responsible.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

- 1. The knowledge of Hindi is essential.
- 2. The date of calculation of age is 1st July, 2025. The maximum age-limit shall be relaxable by **five** years for the the District Magistrate in terms of Govt. Order No. 453/79-V candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled tribe, Other backward class, Skilled players of U.P. of Classified games (for the post of Group 'B' and 'C' only)

 9.8 Those candidates, willing to take the benefit of the Only domiciled persons of U.P. are entitled for such age relaxation) and State Govt. Employees of U.P. including Teachers/ Staff of the Basic Shiksha Parishad of U.P. according to G.O. No. 1648/79-5-2015, dated 19 June 2015 and Teachers/Staff of the Government Aided Madhyamik Vidyalayas of U.P. as per G.O. No. 1508/15-08-2015-3057, dated 16 September, 2015. The upper age limit shall also be greater by 3 years + period of service rendered in army for the emergency commissioned officers/short service commissioned officers/Ex-Army personnels of U.P. It is essential for them to be discharged from army upto the last date of receipt of application. Relaxation of 15 years in the upper age limit will be admissible to P.H. candidates.
- 3. Conditions of Eligibility: In case of emergency commissioned/short service commissioned officers (For age relaxation only):- In accordance with the provisions of the G.O. No. 22/10/1976-karmik-2-85, dated 30-1-1985 Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers who have not been released from Army but whose period of Army service has been extended for rehabilitation, may also apply for this examination/selection on the ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते

minimum period of two years; or (2) Obtained a 'B' certificate following conditions: (A) Such applicants will have to obtain a कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये चिन्हित Force to the effect that their period of Service has been extended for rehabilitation and no disciplinary action is pending against them. (B) Such applicants will have to submit in due course a written undertaking that in case they are selected for the post applied for, they will get themselves released immediately from the Army Service. The above facilities will not be admissible to Emergency/Short Service Commissioned Officers, if (a) he gets permanent Commission in the Army, (b) he has been released from the

- The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate will be final.
- 8. Candidates of any reserved category, if they want the benefit of reservation, must mention their category/ subcategory (one or more than one, whichever) in the column related to O.T.R. because all the personal information will be automatically displayed in the application form from the O.T.R.
- 9. With regard to claims made in the 'On-line Application' the candidate shall submit the following original certificate/ certificates in the prescribed format, when asked for by the Commission. If the certificates are not submitted in time, the candidature shall be cancelled.
- 9.1 Only Higher Secondary/High School Certificate for proc of the age shall be treated valid.
- 9.2 Proof of degree/diploma or its equivalent qualifications to confirm the prescribed essential and preferential qualifications.
- 9.3 In the case of physically handicapped candidates, the certificate issued by the competent authority in the formatto the Govt. Order No. 05/2022/18/1/2008/47/ka-2/2022 dated 18th April 2022.
- 9.4 In the case of the skilled players of the classified sports a certificate issued by the competent authority in terms of the Government Order No. - 22/21/ 1983-Ka-2 dated 28 November 1985.
- 9.5 Under any reserved category/categories, for the confirmation of the claim for reservation, the caste certificate issued by District Magistrate/Additional District Magistrate (Executive)/City Magistrate/SDM/Tehsildar ir the prescribed format prescribed under Govt. Order No. 22/16/92-TC-III/Ka-2/2002 dated 22nd October, 2008 in respect of candidates belonging to the SC/ST/OBC, wil be accepted .
- 9.6 उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग–2 के पत्रांक 1/2019/ 4/1 2002 / का—2 / 19 टी.सी.—।। दिनांक 18 फरवरी 2019 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के ऐसे व्यक्तियों जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं, को उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 10 प्रतिशत का आरक्षण नियमानुसार देय होगा। ई0 डब्ल्यू0 एस0 श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण–पत्र कार्मिक अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18.02. 2019 के अनुरूप आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा।
- 9.7 In the category of dependents of the freedom fighters only sons, daughters, grand-sons (son's son/daughter's son) and grand daughters (son's daughter/daughter's daughter, married/ unmarried) are covered. Only such relationships address, UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration with the freedom fighters are not adequate but the candidate and your physical challenges, Skilled Player, Outstanding should remain actually dependent of the freedom fighter. The candidates may obtain the reservation certificate from 1-15-1(Ka)/14-2015 dated 07-04-2015 in the prescribed
- reservation may obtain a certificate, issued by the competent authority, in support of the reserved category, in the prescribed format printed in Appendix-1 of this detailed advertisement and submit the same to the Commission, whenever required to do so. Those candidates claiming the concession of more than one reserved category will be given only one such benefit, which will be more beneficial. The candidates not originally domiciled in U.P. belonging to SC, ST, O.B.C., dependants of freedom fighters, physically handicapped and Ex-servicemen are not entitled to the benefit of reservation. In case of women candidates, the caste certificate issued from father side will be treated valid. नोट:- (1) उ०प्र० के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये शासन द्वारा अधिसुचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं०—5 / 2022 / 18 / 1 / 2008 / 47 / का—2 / 2022, दिनांक—18 अप्रैल 2022 वे बिन्दु—5(अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गय है— दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिये

- 2. शासनादेश संख्या–39 रिट/का–2/2019 दिनांक 26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या– 18/1/99/का–2/2006 दिनांक 09 जनवरी, 2007 के प्रस्तर-4 में दिये गये प्राविधान, ''यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है'' को रिट याचिका संख्या— 11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.01.2019 को अधिकारातीत (Ultra Vires) घोषित करने सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 09.01.2007 से प्रस्तर-04 को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16. 01.2019 के विरूद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।
- 10. The candidates of reserved categories will be adjusted against the unreserved category in the final selection only if he/she has not availed any benefit/ concession in qualifying standard at the stage of Screening Examination.
- 11. The Commission do not advise to candidates about their eligibility. Therefore, they should carefully read the advertisement and apply only when satisfied about their qualifications in terms of the advertisement.
- 12. Be sure to mention the name of Post applied for, advertisement number, department number, date of birth, O.T.R. and Application ID No. for correspondence with the Commission.
- 13. Candidates are required to hold essential qualification till the last date of receipt of On-line application.
- 14. The candidates whose candidatures are cancelled, do not remain candidates after the cancellation of candidature, therefore the marks of such candidates shall not be provided.
- 15. The Commission reserves the right of cancelling the candidature of any candidate found indulging in any malpractice i.e. copying in examination hall or indiscipline, misbehavior or canvassing for his/her candidature. On violation of these instructions, the candidates may be debarred from this selection as well as future Examinations and selections. In this regard, decision of the commission shall be final. The Provisions of Uttar Pradesh Examination (Prevention of unfair Means) Act-2024, dated 06 August, 2024 will be applicable in aforesaid selection.
- 16. If it is found that a candidate has submitted any forged documents he/she will be debarred from all selections of UPPSC forever and action under relevant articles of Bhartiya Nyaya Sanhita will also be taken against him/her. 17. In case the candidates feel any problem in the "On-line Application" they may get their problem resolved by sending their querries to the 'Mail Box' of the Commission.

Detailed Application Form: At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts 'I do not agree', the application will be dropped and the procedure will be terminated. Opting to 'I Agree' only will make possible the submission of the candidate's Online Application.

Notification Details

This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/ department name and post name

Personnel Details from OTR

This section shows information about candidate personnel details i.e. OTR Number, candidate name, Father/ Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number, photo & signature, Player of U.P., Debarred candidate.

Education & Experience Details

It shows your educational and experience details **Declaration segment**

At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go contents of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button. Preview page will display all facts/particulars that you

have mentioned in O.T.R. if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successful submission report that you can print. [CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION

AVAILABLE] For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website https://uppsc.up.nic.in

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

- NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS
- ≤ All Notification / Advertisements
- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION
- Candidate Registration

प्रतिस्पर्धा करने से मना नही किया जा सकता है अर्थात दिव्यांगता से

| דעי חדוווי ווע פע מועכע ובאו אוואווי עאמו ע אמן ע שאמו איז | | (प्रपत्र—II) | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|
| Shoot of Subtraction Control | ∠Submit Application Form | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र | | | | |
| Control Desirations (C) February (C) Control Desirations (C) Con | | | | | | |
| CAMPONTERSHED POESS SECTION The Common C | ∠Candidate Dashboard (OTR Based) | | | | | |
| Authority recoverance recovery Comment C | :- CANDIDATE'S HELP DESK SECTION | | the person with disabiliy | | | |
| South Duckston Replacement of the complete for the comple | | | Certificate No. Date: | | | |
| ## A consecution of the process of t | | | This is to certify that we have carefully examined | | | |
| center of the property of the | | | Shri/Smt./Kum son/wife/daughter of | | | |
| Last Tour EXP RECEIPT OF APPLICATIONS of the service of the servic | ∠Print Duplicate Registration Slip | | Shri Date of hirth (DD/MM/ YY) | | | |
| ## where A grant and provided induction (1) miles with a control of the control o | | | | | | |
| Accordance from Lack Transport of ApproLichal Colors of the Color of t | ∠List of Applications Having ANY Objections | | Registration No permanent resident of House | | | |
| Continue To Continue Continu | | 2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से | | | | |
| Segritation processor match to compression directating filling and OTTOR pearly, 4-bit and Partial of the Compression of the Co | | कुल वार्षिक आय रू (शब्दों में) है। | | | | |
| South the work of the many service with a south of the many service with a south of the many service with the work of the south of the many service with the south of the sout | Application process must be completed (including filling up | | | | | |
| date of form submission according to Advertisament, allow such the week in the Uniform Street Personal Control of the Uniform Street Pe | | | | | | |
| and control and | | | | | | |
| Assendich: with trem-receptors—(i) with trem-receptors—(i) with trem-receptors—(i) with trem-receptors—(i) with trem-receptors—(ii) with a simple of the control of t | | | | | | |
| and a straighter with row an applican certain the first and the strain of the strain | | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Disability part of Diag impairment/ | | | |
| such a control country (grow-1) where the case and its of Andrews (grow-1) where the case and the case (grow-1) where the case (grow | उ०प्र० की अनसचित जाति तथा अनसचित जनजाति के लिये | | body mentar disability | | | |
| such as here will a find whether the contribution of the contribut | 0 | | ` ' | | | |
| क कर | | | | | | |
| स्था किया के का किया | श्री निवासी गाम वस्सील | , | | | | |
| and the whole of first willows (outpiles and supplies and outpiles and subtract act and and act act act and act | | | 3. Leprosy cured | | | |
| हैं के प्रतिक कर का कर क्षेत्र के अपने क्षित्र क्षाव्यक प्रत्यक के अपने क्षित्र क्षाव्यक कर क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र क्षाव्यक के अपने क्षाव्यक कर क्षेत्र के क्षेत्र के क्ष्यक क्षाव्यक क्षेत्र के क्ष्यक क्षाव्यक क्षाव क्षाव्यक क्षाव क्षाव्यक क्षाव्यक क्षाव्यक क्षाव्यक क्षाव्यक क्षाव्यक क्षाव क्षा | | , , , | 4. Dwarfism | | | |
| and with first the expert of agricultural production are and a second second and the expert of the | | 61 | 5. Cerebral Palsy | | | |
| बं कर के नाम क्षा कर के प्रकार के | | 67 | 6. Acid attack Victim | | | |
| से क्रमी पहिल्ला के पहिल्ला कर कर के बहुन कर | | | 7 Low Vision # | | | |
| बहुत के प्रतिक्र का प्रतिक के प्रतिक्र के प्रतिक्ष के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक्ष क | • | | | | | |
| प्रकार कर कर के के का का प्रकार कर के के का का प्रकार कर के कि का का का के के के कि का का का के के के कि का का का के के के के कि का का का के के के के कि का का का का का के के के के कि का | त्रा / अगता / धुगारात्रा / अथवा | | | | | |
| हमात हरना । हर | | Ü | | | | |
| हमार प्रशास के आक्रम कर कि के कि मार प्राप्त के आक्रम कर कि के कि मार प्राप्त के कि मार प्राप्त के कि मार प्राप्त के आक्रम कर कि के कि मार प्राप्त के मार प्राप्त के कि मार प्राप्त के मार | | | 10. Hard of Hearing £ | | | |
| हार क्षा | | | 11. Speech and | | | |
| हिक्क किक है नहिक्क के कि | • | कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक | Language disability | | | |
| pleanthead yearbhirm blackheided yield with delayer, and with year plan and water and water as water | | संस्थान में लिया गया प्रवेश / लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति | 12. Intellectual Disability | | | |
| and selection of the property of the control of the property of the control of the property of the control of the property o | | निरस्त कर दी जायेगी / कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर | 1 | | | |
| क्षा प्रशास पर सा के जन्म शिक्य है किया की क्षा के क्षा के किया है किया की किया है किया की किया है किया की किया है किया की किया है किया है किया की किया है क | | | | | | |
| जिस्सा प्रति के जान है कि की स्वेश में पूर्ण | | | | | | |
| and the first of the size of | उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र | | | | | |
| ब्यान किया जात है के की / भेक्ती / वृश्यक्ष प्रकार के की किए क्या का क्या कर के किया किया कर के किया किया कर के किया के किया कर के किया कर के किया के किया के किया के किया के किया के किया कर के किया के किया कर के किया क | (प्रारुप—I) | | | | | |
| দ্বৰ্ধনী সিন্ধাৰী কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব | प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सपुत्र/ | 21 | | | | |
| Grant war प्रदेश राज को प्रिक्त के प्रति है । उसके के प्रति है । उसके स्वार्थ के प्रति है । उसके स् | | | | | | |
| बल्क क्रिक बलाक) क्रिक्तिक and account of the service of the decided and the service of t | जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। | | | | | |
| me के अवस्तित मानत प्रति हैं के अपने साम प् | यह जाति उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और | - | | | | |
| Address of the Medical Authority issuing the Certificate y क्रिक्ट को अपनिष्क कर का निर्माण कर के किया के किया कर के किया के किया कर के किया के किया के किया कर के किया कर के किया कर के किया के किया कर के किया के | अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की | | | | | |
| हिला अभिगेता को कि वर्ग हो के पहुंचित वर्ग वर्ग कि उठ्यक्ष के स्वयं क्षित के अपने के स्वयं क | अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। | , , | | | | |
| Recont passport size of the first warrant war | यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी | Address of the Medical Authority issuing the Certificate) | | | | |
| and कर का श्री हम्म कर क्षिय का क्ष्म कर कर का क्ष्म कर कर क्षेत्र अलगा (क्षमण्ड) को क्षेत्र अलगा को क्षमण्ड कर मार्ग के को को को को को को को को को कर के का | पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो जैसा कि उ०प्र० | | 21. Sickle Cell disease | | | |
| a feed activently desired injuryed motifies and surgetion of the person with disability of the deposition of the person with disability of the deposition of the person with disability of the person with disability to the deposition of the person with disability of the person with disability of the person with disability to the deposition of the person with disability to the person with disability of the person with disability to the person with disability of the person with disability of the person with disability to the person with disability to the person with disability of the person with disability to the person with disability of the person with disability to the person with disability of the person with disability to the person with disability the (S) information with the person with disability to the person with disability to the person with disability to the person with disability of the person with disability to the person with d | , | Recent passport size | | | | |
| प्रच नो चक्रक नोक ने हित स्वार्क प्राप्तिक क्षेत्र के ब्राप्तिक क्षेत्र क्षेत्र कर विद्याद्वार क्षित्र होत ने विद्याद्वार क्षित्र होत क्षेत्र के विद्याद्वार क्षित्र होत क्षेत्र होत क्षेत्र के विद्याद्वार क्षित्र होत क्षेत्र होत क्षेत्र के विद्याद्वार क्षेत्र होत क्षेत्र के विद्याद्वार क्षित्र होत क्षेत्र के विद्याद्वार क्षित्र होत क्षेत्र के विद्याद्वार क्षेत्र होत क्षेत्र के विद्याद्वार क्षित्र होत क्षेत्र के विद्याद्वार क्षित्र होत क्षेत्र के विद्याद्वार क्षित्र क्षेत्र के विद्याद्वार क्षित्र क्षेत्र के विद्याद्वार क्षित्र क्षेत्र क | | Necetit passport size | | | | |
| Easy के आला है हो अज्ञेला है हो के मार्ट अज्ञेला है हो के अलान हो है हो के स्वार्थ अंग्रिक मंत्री है तो अज्ञाल में के हिंद कर स्वार्थ अग्रिक मंत्री है तो अज्ञेल हो है हो | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो | attested photograph | permanent physical impairment/disability has been | | | |
| ानी है, तो आध्वारित नहीं है। इनके माना-फिर की मिरत तीन वर्ष की अवकी के दिने वालव वर्षिक आप उठा लाव कर में है तेना उन्हों के तो कर कर व्यक्त माने कर | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है | attested photograph (showing face only) of | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue | | | |
| क हिसे करन बार्षिक आय का लाक वर्ष या इस्तो अधिक नहीं है न्या अध्या करक परिवाद क्षिक कर अधिकीयम् 1987 में वा वार्षिक अधिक अधिकीयम् 1987 में वा वार्षिक अधिक अधिकीयम् 1987 में वा वार्षिक अधिकीयम् 1987 में वा वार्षिक व्यवस्थ कर परिवाद के प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त के प्राप्त कर परिवाद के प्राप्त कर प्राप् | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य | attested photograph (showing face only) of | permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked | | | |
| Shri/ Date of Birth (DDMMYY) Agriculture of the Medical Authority (With seal) Signature/fluing का अविदेश के प्राप्त जनका अविदेश प्रद नाम के अविदेश के प्राप्त जनका प्रतिक्ष का अविदेश के प्रत्य अविदेश के विदेश के प्रत्य अविदेश के विदेश के किए का अविदेश के विदेश के विदेश के विदेश के विदेश के विदेश के का अविदेश के विदेश के | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. Date: | permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B. In the light of the above, his/her over all permanent physical | | | |
| हमालि में नहीं हैं। | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अविध | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. Date: This is to certify that I have carefully examined | permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue) | | | |
| भी श्रीमती , कुमारी वा तर्वात वा अध्यव जनक परिवार वा तरवा जनक परवार वा तरवा जनक परवार वा तरवा जनक परवार वा तरवा जनक परवा वा तरवा जनक परवा वा तरवा जनक परवार वा तरवा जनक वा तरवा जनक परवार वा तरवा जनक परवार वा तरवा जनक वा तरवा जनक परवार वा तरवा जनक वा तरवा ज | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. Date: This is to certify that I have carefully examined | permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue) | | | |
| permanent resident of House No. 2. This condition is progressive/non-progres | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kumson/wife/daughter_of | permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: | | | |
| जिला में सामान्यतय सरहत है। शिक्त पुरा गान पु | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) years, male/female registration No. | permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. | | | |
| हार पर नाग प्रमाण पर नाग प्रमाण पर नाग प्रमाण पर नाग प्रमाण पर संख्या सक्कार कार्या सरकार कार्या पर परिस्परित प्रमाण पर संख्या पर परिस्परित प्रमाण माण पर संख्या पर परिस्परित प्रमाण पर संख्या कार्य के सित्य पर्य के स्वित प्रमाण पर संख्या पर परिस्परित पर्मा के स्वया पर परिस्परित प्रमाण पर संख्या पर परिस्परित पर्मा के स्वया पर परित के सुन्य परित परित के सुन्य वार्षिक कार्य से कमजोर मां के सदस्य है इसके परिवार के सुन्य परित पर्मा के स्वया है स्वाधि कि स्वर्ध के पर स्व | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती/कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. son/wife/daughter of Shri pate of Birth (DD/MM/YY) years, male/female permanent resident of House No. | permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. | | | |
| हिर्माक पुरा नाम पु | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती/कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female permanent resident of House No. | permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figures | | | |
| किलाकीककोर / अविरिक्त जिलाकिकोर / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / पराना मजिस्ट्र | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनयम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री / श्रीमती / कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street District State State | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physica impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. In wordspercent 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. | | | |
| Cocomotor disability Mary (प्राप्त—) Marked Mar | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री /श्रीमती / कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street District State State | permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. In wordspercent 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. 3. Reassessment of disability is:- | | | |
| तर्षावाचाच | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती/कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that: | permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. In wordspercent 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. 3. Reassessment of disability is:- | | | |
| Please tick as applicable The diagnosis in his/her case is Please tick as applicable The diagnosis in his/her case is Please tick as applicable The diagnosis in his/her case is Please tick as applicable The diagnosis in his/her case is Please tick as applicable The diagnosis in his/her case is Please tick as applicable The diagnosis in his/her case is Please tick as applicable Please tick | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री /श्रीमती / कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (BIn the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. In wordspercent. 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. 3. Reassessment of disability is:- (i) not necessary, or | | | |
| प्रतार प्रदेश सरकार कार्यालय का नाम- कार्यालय का नाम- वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र प्रमाण पत्र संख्या. पिनांक विवेदातीय वर्ष के के स्वरंप द्वारा प्रस्तुत किया जाने तितीय वर्ष के के लिए मान्य प्रमाणित किया जाता है कि शी, शीमती, कुमरी. पुत्र पपि, पुत्री के स्वर्ण पित्रा रहे कि स्वर्ण है किया जाने तितीय वर्ष के लिए मान्य प्रमाणित किया जाता है कि शी, शीमती, कुमरी. पुत्र पपित्र पुत्र के लिए मान्य प्रमाणित किया जाता है कि शी, शीमती, कुमरी. पुत्र पपि, पुत्री के स्वर्ण पित्रा के के स्वर्ण है किया के किए के स्वर्ण पित्र के किए है इनके परिवार के खुत वार्षिक आय 8 वाख (आव लाख क्षण्ये मात्र) से कम है इनके परिवार के स्वर्ण है को किया वर्ष के अंतर्गत के अवक क्षेत्रकाल का पलेट हि त्र अधिक का आवासीय मुख्यण्ड V. अधिसृतित नारपालिका से इंतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय मुख्यण्ड V. अधिसृतित नारपालिका से इंतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय मुख्यण्ड V. अधिसृतित नारपालिका से इंतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय मुख्यण्ड V. अधिसृतित नारपालिका से इंतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय मुख्यण्ड V. अधिसृतित नारपालिका से इंतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय मुख्यण्ड V. अधिसृतित नारपालिका से इंतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय मुख्यण्ड V. अधिसृतित नारपालिका से इंतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय मुख्यण्ड V. अधिसृतित नारपालिका से इंतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय मुख्यण्ड V. अधिसृतित नारपालिका से इंतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय मुख्यण्ड V. अधिसृतित नारपालिका से इंतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय मुख्यण्ड V. अधिसृतित नारपालिका से इंतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय मुख्यण्ड V. अधिसृतित नारपालिका से इंतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय मुख्यण्ड V. अधिसृतित नारपालिका से इंतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय मुख्यण्ड V. अधिसृतित नारपालिका से इंतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय मुख्यण्ड V. अधिसृतित नारपालिका से इंतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय मुख्यण्ड V. अधिसृतित नारपालिका से इंतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय मुख्यण्ड V. अधिसृतित नारपालिका से अधिक का आवासीय मुख्यण्य V. अधिसृति | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है । इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है । श्री/श्रीमती/कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: locomotor disability dwarfism | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. In wordspercent. 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. 3. Reassessment of disability is:- (i) not necessary, or (ii) is recommended/ after years months, | | | |
| कार्यालय का नाम. आर्थिक रूप से कमजीर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाल आय एवं परिसम्पर्धत प्रमाण-पत्र संख्या. प्रित्तांक किया जाता है कि श्री /श्रीमर्शी /खुमार्थ पुत्र - पति पुर्वा किया जाने विकास के सिर्म मान्य पत्र संख्या. पत्र किया जाता है कि श्री /श्रीमर्शी /खुमार्थ पुत्र - पति पुर्वा किया जाता है कि श्री /श्रीमर्शी /खुमार्थ पुत्र - पति पुर्वा के स्थार्थ किया जाता है कि श्री /श्रीमर्शी /खुमार्थ पुत्र - पति पुर्वा के स्थार्थ किया किया है कि कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि का आवासी है कि कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि कि क्या का स्थार किया वर्ग के स्थार किया किया किया किया किया किया किया किया | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है । इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है । श्री / श्रीमती / कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State vhose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: locomotor disability dwarfism blindness | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figures | | | |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानं वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र संच्या | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है । इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पित्त भी नहीं है । श्री / श्रीमती / कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State vhose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: locomotor disability dwarfism blindness (Please tick as applicable) | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figures | | | |
| शाह के रूप पर समर्थन प्रमाण पत्र संख्या. विनांक के लिए मान्य प्रमाणित किया जाता है कि श्री /शीमती / कुमारी प्रत /पति / पुत्री प्राम / करबा प्रमाण पत्र करबा प्रमाण के ब्राव प्रमाण पत्र के स्वार्य प्रमाण पत्र के स्वार्य प्रमाण पत्र के स्वर वर्ध है को श्री प्रमाण पत्र के स्वर वर्ध है को स्वर प्रमाण प्रमाण के ब्राव प्रमाण के स्वर वर्ध है को स्वर प्रमाण प्रमाण के अवस्व अवस्व उससे उपर । स्वर प्रमाण प्रमाण के अवस्व | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनेयम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनयम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है । इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पित्त भी नहीं है । श्री / श्रीमती / कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State vhose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: locomotor disability dwarfism blindness (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is Interest passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability and satisfied attested photograph (showing face only) of the person with disability and satisfied aughter of solvers attested photograph (showing face only) of the person with disability and satisfied aughter of solvers attested photograph (showing face only) of the person with disability | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figures | | | |
| समाण पत्र संख्या हिनांक विद्या वर्ष के लिए मान्य प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती कुमारी पुत्र निर्धा पत्र के लिए मान्य प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्री मती कुमारी पुत्र निर्धा पत्र कि लिए मान्य प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्री मती कुमारी पुत्र निर्धा पत्र कि लिए मान्य प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्री मती कुमारी पत्र के प्रमाण मंचि, अनिप्रमाणित किया जाता है कि श्री श्री मत्र अनिप्रमाणित किया जाता है कि श्री श्री श्री मत्र अनिप्रमाणित किया जाता है कि श्री श्री मत्र अनिप्रमाणित जोता के स्वत्य के स्वत्य कि किया जाता है कि श्री श्री मत्र अनिप्रमाणित जोता जाता जाता जाता जाता जाता जाता जात | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनेयम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनयम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है । इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है । श्री /श्रीमती / कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: locomotor disability dwarfism blindness (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is (A) he/she has % (in figure) percent | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figures | | | |
| वित्तीय वर्ष के लिए मान्य प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमची, कुमारी पारट ऑफिस बात पारच कि का जातानीय मुखण्ड। 1. 5 (मांच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर। 1. 1. 5 (मांच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर। 1. 1. 5 (मांच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे उपर। 1. 1. 5 (मांच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे उपर। 1. 5 (मांच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे उपर। 1. 5 (मांच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे उपर। 1. 5 (मांच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे उपर। 1. 5 (मांच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे उपर। 1. 5 (मांच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे उपर। 1. 5 (मांच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे उपर। 1. 5 (मांच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे उपर। 1. 5 (मांच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे उपर। 2. अश्रि श्रीमती / कुमारी जाती अपुर्युवित जाजीत तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिक को अग्रवासीय मुखण्ड। 2. अश्री श्रीमती / कुमारी जाती अपुर्युवित जाजीत तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिक योग प्रमाम जिल्लाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / श्रीतिरिक्त जिलाधिकारी / अतिरिक्त | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनेयम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री / श्रीमती / कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State vhose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: locomotor disability dwarfism blindness (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is (A) he/she has yeranent locomotor disability/ | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physica impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. In wordspercent. In wordspercent 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. 3. Reassessment of disability is:- (i) not necessary, or (ii) is recommended/ afteryearsmonths, and therefore this certificate shall be valid till | | | |
| of issue of the guidelines to be specified). प्रामा/ करबा. पंपर ऑफिस श्रामी, कुमारी. वहसील जिला एज्य पिन कोड के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्रमाणित हैं, आर्थिक कर्ग के मजोर वर्ग के सदरय हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष मंज्ञ) से कम हैं। इनके परिवार को कुत वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रूपये माज्ञ) से कम हैं। इनके परिवार को कुत वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रूपये माज्ञ) से कम हैं। इनके परिवार को कुत वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रूपये माज्ञ) से कम हैं। इनके परिवार को खामिल में निम्मलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं हैं:— I. ५ (पिंच) एकड़ कृषि योग्य मृमि अथवा उससे कपर III. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय मृखण्ड IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय मृखण्ड IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय मृखण्ड IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय मृखण्ड IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय मृखण्ड Signature and seal of the Medical Authority. (Dr | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है । इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है । श्री / श्रीमती / कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State vhose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: locomotor disability dwarfism blindness (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is (A) he/she has Merch Hassport Size attested photograph (showing face only) of the person with disability Age attested photograph (showing face only) of the person with disability Age attested photograph (showing face only) of the person with disability Age attested photograph (showing face only) of the person with disability Age attested photograph (showing face only) of the person with disability Age attested photograph (showing face only) of the person with disability Age attested photograph (showing face only) of the person with disability Age attested photograph (showing face only) of the person with disability Age attested photograph (showing face only) of the person with disability Age attested photograph (showing face only) of the person with disability Age attested photograph (showing face only) Age attested photograph (pate) Age Age Age Age Age Age Age Age Age Ag | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physica impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. In wordspercent. In wordspercent 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. 3. Reassessment of disability is:- (i) not necessary, or (ii) is recommended/ afteryearsmonths, and therefore this certificate shall be valid till | | | |
| प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती/ कुमारी पुत्र पति / पुत्री 2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:- तहसील जिला राज्य फिन कोड के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अमिप्रमाणित हैं, आर्थिक रूप से कमजीर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार के कुल वार्षिक आय 8 लाख (आद लाख रूपये मात्र) से कम हैं इनके परिवार के कुल वार्षिक आय 8 लाख (आद लाख रूपये मात्र) से कम हैं इनके परिवार के कुल वार्षिक आय 8 लाख (आद लाख रूपये मात्र) से कम हैं इनके परिवार के कुल वार्षिक आय 8 लाख (आद लाख रूपये मात्र) से कम हैं इनके परिवार के कुल वार्षिक आय 8 लाख (आद लाख रूपये मात्र) से कम हैं इनके परिवार के कुल वार्षिक आय 8 लाख (आद लाख रूपये मात्र) से कम हैं इनके परिवार के कुल वार्षिक आय 8 लाख (आद लाख रूपये मात्र) से कम हैं इनके परिवार के कुल वार्षिक आय 8 लाख (आद लाख रूपये मात्र) से कम हैं इनके परिवार के कुल वार्षिक आय 8 लाख (आद लाख रूपये मात्र) से कम हैं इनके परिवार के कुल वार्षिक आय 8 लाख (आद लाख रूपये मात्र) से कम हैं इनके परिवार के कुल वार्षिक आय 8 लाख (आद लाख रूपये मात्र) से कम हैं इनके परिवार के कुल वार्षिक आय 8 लाख (आद लाख रूपये मुन्न) से कम हैं इनके परिवार के कुल वार्षिक अय 8 लाख (आद लाख रूपये मुन्न) से कम हैं इनके परिवार के कुल वार्षिक अय 8 लाख (आद लाख रूपये मात्र) से कम हैं इनके परिवार के कुल वार्षिक अय 8 लाख (आद लाख रूपये मात्र) से कम हैं इनके परिवार के जिल्ला हैं हैं— [1] 1. 5 (पाँच) एकड कृषि योग्य भूमि अथवा उससे अपर । [2] 2. अर्थ / अपरामित / कुमारी के स्वर पर 200 वर्ग ग ज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड । [3] 2. 5 (पाँच) एकड कृषि योग्य भूमि अथवा उससे अधिक का आवासीय भूखण्ड । [4] 2. 6 (पाँच) एकड कृषि योग्य भूमि अथवा उससे अधिक का आवासीय भूखण्ड । [5] 3 (पाँच) एकड कृषि योग्य भूमि अथवा उससे अधिक का आवासीय भूखण्ड । [6] 4. Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal) [7] 4. Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal) [8] 5 (पाँच) परिवार के पर्च कि पर्च के पर्च के प्राम्य भूमि अथवा उससे अधिक का आवासीय भूखण्ड । [8] 6 (पाँच) परिवार के प्राम्य भूमि अथवा उससे अधिक का आवासीय भूखण्ड । [8] 6 (पाँच) परिवार के प्राम्य कि प्राम्य कि प्राम्य कि प्राम्य | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है । इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है । श्री / श्रीमती / कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: locomotor disability dwarfism blindness (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is (A) he/she has "(in figure) percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her (part of body) as per guidelines (number and date | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figures | | | |
| तहसील जिला राज्य पिन कोड के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अमिप्रमाणित हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अमिप्रमाणित हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष मं हे इनके परिवार के स्वामित्व में तिम्निलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं हैं— 1. 5 (पॉच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर। 11. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। 12. औ/ श्रीमती / कुमारी जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जानजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नगरपालिका ते हों। 3. Signature and seal of the Medical Authority. (Dr | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है । इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पित्त भी नहीं है । श्री / श्रीमती / कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: locomotor disability dwarfism blindness (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is (A) he/she has "(in figure) percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her (part of body) as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified). | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. In wordspercent. In wordspercent. 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. 3. Reassessment of disability is:- (i) not necessary, or (ii) is recommended/ afteryearsmonths, and therefore this certificate shall be valid till | | | |
| कोड के रथायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्रमाणित हैं, आर्थिक लग्न से सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार के स्वस्य हैं, क्योंकि कला यह लग्न से कोई मी परिसम्पित नहीं हैं— हैं हैं परिवार के स्वामित में निम्नितिखत में से कोई मी परिसम्पित नहीं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं है | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनेयम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनयम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है । इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पित्त भी नहीं है । श्री / श्रीमती / कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: locomotor disability dwarfism blindness (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is (In words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her (part of body) as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified). The applicant has submitted the following document | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figures | | | |
| है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनेयम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनयम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है । इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पित्त भी नहीं है । श्री /श्रीमती / कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: locomotor disability dwarfism blindness (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her (part of body) as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified). 2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:- | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figures | | | |
| इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है इनके परिवार के स्वामित्व में निम्निलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं हैं:— I. 5 (पॉच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर। III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक को आवासीय भूखण्ड। IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। 2. श्री / श्रीमती / कुमारी | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनेयम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनयम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है । इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है । श्री /श्रीमती / कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State vhose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: locomotor disability dwarfism blindness (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is (A) he/she has '(in figure) percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her of body) as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified). The applicant has submitted the following document as proof of residence:- Nature of Date of Details of authority | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figures | | | |
| ड्रनके परिवार के स्वामित्व में नेम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं हैं— 1. 5 (पॉच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर। III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। 2. श्री / श्रीमती / कुमारी जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं। Signature and seal of the Medical Authority. (Dr | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनेयम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनयम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है । इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है । श्री /श्रीमती / कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female permanent resident of House No. ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: locomotor disability dwarfism blindness (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is (A) he/she has (B) A he/she has (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is (A) he/she has (B) The diagnosis in his/her case is (C) The applicant has submitted the following document as proof of residence:- Nature of Date of Details of authority issuing certificate | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physica impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. In wordspercent 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. 3. Reassessment of disability is:- (i) not necessary, or (ii) is recommended/ afteryearsmonths, and therefore this certificate shall be valid till | | | |
| I. 5 (पॉच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर। III. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का पलेट। III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। 2. श्री /श्रीमती / कुमारी जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं। Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal) Chef Medical Officer (with seal) Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal) Chef Medical Officer (with seal) Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal) Chef Medical Officer (with seal) Chef Medical Officer (with seal) Chief Medical Officer (with seal) | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनयम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—िपता की निरंतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री / श्रीमती / कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Son/wife/daughter of Shri_ Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: Iocomotor disability dwarfism blindness (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is (A) he/she has (B) Me/she has (C) Me/she has (D) Me/she | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. In wordspercent. 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. 3. Reassessment of disability is:- (i) not necessary, or (ii) is recommended/ afteryearsmonths, and therefore this certificate shall be valid till | | | |
| II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का पलैट। III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। 2. श्री / श्रीमती / कुमारी जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं। Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal) Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal) (Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate) Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability (In cases of multiple disabilities) (Name and Address of the Medical Authority/Board issuing face only) of the person with disability (Name and Address of the Medical Authority/Board issuing face only) of the person with disability | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—िपता की निरंतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती/कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female permanent resident of House No. Ward/Village/Street District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: locomotor disability dwarfism blindness (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is (A) he/she has (B) The diagnosis in relation to his/her (In words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her of body) as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified). The applicant has submitted the following document as proof of residence:- Nature of Document Issue Details of authority issuing certificate | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B. In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. In wordspercent. In wordspercent 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. 3. Reassessment of disability is:- (i) not necessary, or (ii) is recommended/ afteryearsmonths, and therefore this certificate shall be valid till | | | |
| III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड । IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड । 2. श्री / श्रीमती / कुमारी | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। शी/श्रीमती/कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age registration No. permanent resident of House No Ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: locomotor disability dwarfism blindness (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is (A) he/she has % (in figure) percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her (part of body) as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified). The applicant has submitted the following document as proof of residence:- Nature of Date of Details of authority issuing certificate 3. Signature and seal of the Medical Authority. (Dr) (Dr) | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B. In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. In wordspercent. In wordspercent 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. 3. Reassessment of disability is:- (i) not necessary, or (ii) is recommended/ afteryearsmonths, and therefore this certificate shall be valid till | | | |
| अधिक का आवासीय भूखण्ड। IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। 2. श्री / श्रीमती / कुमारी | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। शी/श्रीमती/कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: locomotor disability dwarfism blindness (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is (A) he/she has % (in figure) percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her (part of body) as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified). The applicant has submitted the following document as proof of residence:- Nature of Date of Details of authority issuing certificate 3. Signature and seal of the Medical Authority. (Dr) Member Member Chairperson | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. In wordspercent 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. 3. Reassessment of disability is:- (i) not necessary, or (ii) is recommended/ afteryearsmonths, and therefore this certificate shall be valid till | | | |
| IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।2. श्री / श्रीमती / कुमारीजातिकं सदस्य हैं जो अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।Countersigned by the person in whose favour certificate of disability is issuedCountersigned by the Chief Medical Officer (with seal)(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)अवेदक का पासपोर्ट साइज का अभिप्रमाणित का अभिप्रमाण का | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उठप्रठ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री / श्रीमती / कुमारी | Attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No permanent resident of House No Ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: locomotor disability dwarfism blindness (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is (A) he/she has % (in figure) percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her (part of body) as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified). The applicant has submitted the following document as proof of residence:- Nature of Date of Details of authority issuing certificate 3. Signature and seal of the Medical Authority. (Dr) (Dr) Member Member Chairperson Medical Board Medical Board | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physica impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. In wordspercent. 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. 3. Reassessment of disability is:- (i) not necessary, or (ii) is recommended/ afteryearsmonths, and therefore this certificate shall be valid till | | | |
| का आवासीय मूखण्ड। 2. श्री / श्रीमती / कुमारी | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री /श्रीमती / कुमारी | Attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No permanent resident of House No Ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: locomotor disability dwarfism blindness (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is (A) he/she has % (in figure) percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her (part of body) as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified). The applicant has submitted the following document as proof of residence:- Nature of Date of Details of authority issuing certificate 3. Signature and seal of the Medical Authority. (Dr) (Dr) Member Member Chairperson Medical Board Medical Board | permanent physical impairment/disability has beese evaluated as per guidelines (number and date of issues of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issues of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. In wordspercent. 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. 3. Reassessment of disability is:- (i) not necessary, or (ii) is recommended/ afteryearsmonths, and therefore this certificate shall be valid till | | | |
| 2. श्री / श्रीमती / कुमारी | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री /श्रीमती / कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Date: This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: locomotor disability dwarfism blindness (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is (A) he/she has '% (in figure) percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her of body) as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified). The applicant has submitted the following document as proof of residence:- Nature of Date of Document Issue Signature and seal of the Medical Authority. (Dr) Member Member Chairperson Medical Board Medical Board with seal with seal with seal | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. In wordspercent. In it is condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. 3. Reassessment of disability is:- (i) not necessary, or (ii) is recommended/ afteryearsmonths, and therefore this certificate shall be valid till | | | |
| हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं। Standard का पुरा नाम Certificate of Disability Virtuit | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री /श्रीमती / कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figures | | | |
| अधिसूचित नहीं हैं। अधिसूचित नहीं हैं। उस्ताक्षर | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहेत छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री / श्रीमती / कुमारी तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला नगर जिला में सामान्यतया रहता है। खान हस्ताक्षर पूरा नाम पुहर परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार। (प्रपत्र—I) उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार। (प्रपत्र—I) उत्तर प्रदेश सरकार कार्यालय का नाम जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार। (प्रपत्र—I) उत्तर प्रदेश सरकार कार्यालय का नाम पर जिलाधिकारी / कुमारी परन्ति प्रमाण—पत्र प्रमाण पत्र संख्या वर्ष परसम्पत्ति प्रमाण—पत्र प्रमाण पत्र संख्या वर्ष परिसम्पत्ति प्रमाण—पत्र प्रमाण पत्र संख्या वर्ष के लिए मान्य प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी परन्ता प्रमाण प्रत्र परवार के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्रमाणित हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्रमाणित हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष इनके परिवार के खुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है इनके परिवार के खुल वार्षिक अथव इससे, अधिव क्षेत्रफल का पलैट। ॥. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का पलैट। ॥. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Date of Birth (DD/MM/YY) years, male/female permanent resident of House No. Ward/Village/Street District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: locomotor disability dwarfism blindness (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is (A) he/she has "% (in figure) percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her (in words) as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified). The applicant has submitted the following document as proof of residence:- Nature of Document Signature and seal of the Medical Authority. (Dr) Member Member Chairperson Medical Board Medical Board with seal with seal Signature/thumb impression of the person in whose Chief Medical Officer | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. In wordspercent. In wordspercent. In wordspercent. In wordspercent. In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. In wordspercent. In yearspercent. Percent. In wordspercent. In yearspercent. Percent. In wordspercent. In yearspercent. In wordspercent. In yearspercent. Percent. In yearspercent. Percent. In yearsmonths, and therefore this certificate shall be valid till | | | |
| हस्ताक्षर | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री श्रीमती / कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Date of Birth (DD/MM/YY) years, male/female permanent resident of House No. Ward/Village/Street District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: locomotor disability dwarfism blindness (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is (In words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her (jeart of body) as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified). The applicant has submitted the following document as proof of residence:- Nature of Document Date of Document Jor | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. In wordspercent. In wordspercent. In wordspercent. In wordspercent. In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. In wordspercent. In guidelines to be specified) for the date of issue of the guidelines (number and date of issue of the valid till ill. In wordspercent. In the light of the date of issue of the wall till. In wordspercent. In wordspercent. In wordspercent. In wordspercent. In wordspercent. In wordspercent. In the light of the date of issue of the wall till. In wordspercent. In wordspercent. In wordspercent. In wordspercent. In wordspercent. In wordspercent | | | |
| अवंदक का पूरा नाम | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०७० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पित्त भी नहीं है। श्री /श्रीमती / कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Date of Birth (DD/MM/YY) years, male/female permanent resident of House No. Ward/Village/Street District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: locomotor disability dwarfism blindness (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is (In words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her (jeart of body) as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified). The applicant has submitted the following document as proof of residence:- Nature of Document Date of Document Jor | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. In wordspercent. In wordspercent. In wordspercent. In wordspercent. In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. In wordspercent. In guidelines to be specified) for the date of issue of the guidelines (number and date of issue of the valid till ill. In wordspercent. In the light of the date of issue of the wall till. In wordspercent. In wordspercent. In wordspercent. In wordspercent. In wordspercent. In wordspercent. In the light of the date of issue of the wall till. In wordspercent. In wordspercent. In wordspercent. In wordspercent. In wordspercent. In wordspercent | | | |
| पासपोर्ट साइज का अभिप्रमाणित जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी (Name and Address of the Medical Authority/Board issuing Cortificate No. | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0,00 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती/कुमारी | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: Icocomotor disability dwarfism blindness (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her (justical part of body) as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified). The applicant has submitted the following document as proof of residence:- Nature of Date of Details of authority issuing certificate 3. Signature and seal of the Medical Authority. (Dr) Member Member Chairperson Medical Board Medical Board Medical Board with seal Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal) | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. In wordspercent. In wordspercent. 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. 3. Reassessment of disability is:- (i) not necessary, or (ii) is recommended/ afteryearsmonths, and therefore this certificate shall be valid till | | | |
| का अभिप्रमाणित जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी (Name and Address of the Medical Authority/Board issuing Cortificate No. | लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०, का कसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर पूरा नाम पुहर पुरा नाम पुहर पुरा नाम पुहर पुरा नाम पुहर पुरा नाम पुहर तहसीलदार। (प्रपत्र—I) उत्तर प्रदेश सरकार कार्यालय का नाम. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण—पत्र प्रमाण पत्र संख्या. दिनांक पुत्र निक्या जातो है कि श्री/श्रीमती/कुमारी. पुत्र नाम पुत्र पुत्र निक्या जातो है कि श्री/श्रीमती/कुमारी. पुत्र नाम पुत्र निक्या जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी. पुत्र नाम पुत्र निक्या जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी. पुत्र नाम पुत्र पित्र के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्रमाणित हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में के परिवार के स्वामित्व में निम्नित्यित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं हैं.— 1. 5 (पंवा) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर। ॥. अधसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। ।V. अधसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। 1V. अधसूचित नगरपालिका के इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। 2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं। | attested photograph (showing face only) of the person with disability Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: locomotor disability dwarfism blindness (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is (A) he/she has 'w (in figure) percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her (in words) perguidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified). The applicant has submitted the following document as proof of residence:- Nature of Document Signature and seal of the Medical Authority. (Dr) Member Member Chairperson Medical Board Medical Board with seal Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued Form-III | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. In wordspercent. In wordspercent. 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. 3. Reassessment of disability is:- (i) not necessary, or (ii) is recommended/ afteryearsmonths, and therefore this certificate shall be valid till | | | |
| (Name and Address of the Medical Address of t | लोक सेवा (अनुसृचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उठप्रठ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। शी/श्रीमती/कुमारी | Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female permanent resident of House No. Ward/Village/Street Nose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: Iocomotor disability whose has (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is (A) he/she has Winfism/blindness in relation to his/her (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her of body) as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified). The applicant has submitted the following document as proof of residence: Nature of Date of Date of Date of Details of authority (Dr) Member Member Chairperson Medical Board Medical Board with seal with seal Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued Form-III Certificate of Disability | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. In wordspercent. In wordspercent. 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. 3. Reassessment of disability is:- (i) not necessary, or (ii) is recommended/ afteryearsmonths, and therefore this certificate shall be valid till | | | |
| the Certificate) | लोक सेवा (अनुसृचित जातियों, अनुसृचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उठप्रठ लोक सेवा (अनुसृचित जातियों, अनुसृचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आव लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री /श्रीमती / कुमारी | Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No permanent resident of House No Ward/Village/Street Post office District State Whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: locomotor disability dwarfism blindness (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is (Please tick as applicable) (A) he/she has % (in figure) percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her (part of body) as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified). 2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:- Nature of Date of Details of authority issuing certificate 3. Signature and seal of the Medical Authority. (Dr | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figures | | | |
| | लोक सेवा (अनुसृचित जातियों, अनुसृचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उठप्रठ लोक सेवा (अनुसृचित जातियों, अनुसृचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आव लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पति भी नहीं हैं। श्री /श्रीमती / कुमारी | Certificate No. This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. Son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No permanent resident of House No Ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: • locomotor disability • dwarfism • blindness (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is ((a) he/she has % (in figure) percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her (part of body) as per guidelines (be specified). 2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:- Nature of Date of Details of authority issuing certificate 3. Signature and seal of the Medical Authority. (Dr | permanent physical impairment/disability has bee evaluated as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the (B In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figurespercent. In wordspercent. In gurespercent. In gures | | | |

| | | | | | आत्मजा श्री निवासी पूरा पता ने वि | | _ | | |
|--|---|---|---|---|--|---|---|--|--|
| Smt. | /Kumson/wif | e/daugh | ter of S | hri Date of | दिनांकतक (स्थान का नाम) में आयोजित (ह | क्रीड़ा / खेल—कूद | सन | देव, प्रo लोक सेवा आयोग, | |
| birth (DD/MM/YY)age years, male/female का ना | | | /female | का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लि | ाया । | | प्र० लाक सेवा आयाग, गगराज | | |
| Regi | istration No | pern | nanent | resident of House | उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में | स्थान | | ाराजा ग, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—1 लखनकः दिनांक 18 अक्टूबर, | |
| No. | Ward/Villa | age/ Stre | eet | Post Office | प्राप्त किया गया। | | 2024 | ा, या र्य अस्यायु भारवसा अनुमान । सञ्जाक विभाव १६ अपटूबर, | |
| <u> </u> | District | ` | State_ | , whose | यह प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन / (यह | ऱाँ संस्था का नाम | | सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता के | |
| phot | ograph is affixed abov | /e, and a | m satis | stied that he/she is | दिया जारो) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया र | गया है। | | अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में। | |
| Ta ca | ase of | Disab | ollitv. F | ils/her extent of | 7077 | | महोदय, | , | |
| perc | entage physical in | npairmei | nt/disa | bility has been | दिनांक नाम | | उप | र्युक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन (राजपत्रित), उ०प्र०, लखनऊ के | |
| eval | uated as per guideline | es (n | umber | and date of issue | पद | | संख्या— | नि.व.सा.0—30 / 10—2—6 (एस0ओ0 अधि0), दिनांक 23.09.2023 पत्र | |
| 1 | e guidelines to be sp | , | | shown against the | संस्था का नाम | | (छायाप्रर् | छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम | |
| relev | ant disability in the tal | ole below | / | | मुहर | | सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के समकक्ष | | |
| | | मुहर | | | | ग निर्धारण किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। | | | |
| S. | | Affected | Diag | physical | व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। | | | उल्लेखनीय है कि उ०प्र० शासन, कार्मिक अनुभाग–1 की अधिसूचना | |
| N. | Disability | part of | | impairment/ | प्रारूप – 2 | | | 13 (10) 2004 / का–1–2012, दिनांक 07.12.2012 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी | |
| IN. | | body | 110313 | mental disability | आएन ट्र (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष् | ਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰਿਆਸਿਤਾ | | प्तांख्यिकीय सेवा नियमावली के भाग-4 के बिन्दु-11 के प्रस्तर (2) में अर्थ एवं | |
| 1 🖳 | | | | (in%) | | द्राय प्रारायाागता | | धिकारी / शोध अधिकारी / सांख्यिकीय अधिकारी / सहायक निदेशक (सांख्यिकी) | |
| 1. | Locomotor disability | @ | | | में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) | | | तु निम्न प्रकार शैक्षिक अर्हता निर्धारित है:– | |
| 2. | Muscular Dystrophy | | | | सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम | | | क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय | |
| 3. | Leprosy cured | | | | की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाङ् | ड्या क लिए | | ी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में 55 प्रतिशत अंकों के साथ | |
| 1 | <u> </u> | | | | प्रमाण–पत्र | | स्नातका | त्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। | |
| 4. | Cerebral Palsy | | | | प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी | | | या द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सांख्यिकी में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा। | |
| 5. | Acid attack Victim | | | | पत्नी / आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) | | | द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था स साख्यिका में दा वषाय स्नातकात्तर ।ङप्लामा।) देवनागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान। | |
| 6. | Low Vision | # | | | दिनांक से दिनांक तक में (ब्र | | |) देवनागरा तिविष मारुपायम् आस्। । है कि कार्मिक अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—02/2024/1733973/ | |
| 7. | Deaf | £ | | | का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) | आयोजित | | -2—2024, दिनांक 24.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सहायक सांख्यिकीय | |
| 8. | Hard of Hearing | £ | | | राष्ट्रीय में (क्रीड़ा/ खेल– कूद का नाम) की | प्रतियोगिता / | | -2—2024, प्रिनाय 24:00:2024 (ठावात्रात संलम्भ) द्वारा सहायय साल्ययाय ो / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के सीधी भर्ती के पद पर चयन हेत् | |
| - | | _ | | | टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया। | | | शिक्षिक अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारण किया गया है। | |
| 9. | Speech and | | | | उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में | स्थान प्राप्त | | सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर | |
| 11 | Language disability | | | | किया गया। | | | र्ती द्वारा चयन हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारण | |
| | Intellectual Disability | | | | | नाम) में उपलब्ध | | अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—02 / 2024 / 1733973 / 47— का—2—2024, | |
| 11. | Specific Learning | | | | रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। | , | दिनांक | 24.06.2024 द्वारा सहायक सांख्यिकीय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी | |
| 1 | Disability | | | | स्थान हस्ताक्षर | | | की) के सीधी भर्ती के पद पर चयन हेतु निर्धारित की गयी समकक्ष अर्हता के | |
| 12. | Autism Spectrum | | | | दिनांक नाम | | अनुरूप | किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। | |
| | Disorder | | | | पद | | | इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सांख्यिकी अधिकारी के पद | |
| 13. | Mental illness | | | | संस्था का नाम | | | ो भर्ती द्वारा चयन हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के समकक्ष अर्हता का उल्लेख | |
| 14. | Chronic Neurological | | | | मृहर | | | कार्मिक अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—02/2024/1733973/47— का —2— | |
| | Conditions | | | | गुरवि नोट : यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेल–कूद संघ के सचिव द्वारा | | 2024, वि | नांक 24.06.2024 के अनुरूप करते हुए विज्ञापन निर्गत करने का कष्ट करें। | |
| 15. | Multiple sclerosis | | | | किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। | | | संख्या—02 / 2024 / 1733973 / 47—का—2—2024 | |
| | Parkinson's disease | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | प्रेषक, | | |
| | Haemophilia | | | | प्रारूप — 3 | A . + | डा० देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव, | | |
| 1 — | Thalassemia | | | | (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने विश्वविद्यालय व | | | | |
| 19. | Sickle Cell disease | | | | अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिला | . , | उत्तर प्रदेश शासन । सेवा में, | | |
| 1 - | विश्वविद्यालयं की नीमश्रिपं स्तर की सवीओ/ पदी पर | | | | समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन । | | | | |
| | Please strike out the | | | | नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़िया के लिए प्रमाण—पत्र | | समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। | | |
| | | | | n-progressive/ | प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी | | | समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। | |
| | The above condition is progressive/non-progressive/ पत्नी / आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) कार्मिक अनुभाग—2 लखनऊः दिन | | | | | | | | |
| | Passessment of disability is:- | | | | सहायक सांख्यिकीय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) पद हेतु | | | | |
| | 3. Reassessment of disability is:- (देनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित | | | | विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या | | | | |
| |) not necessary, or अन्तर्विश्वविद्यालय (क्रीड़ा / खेल-कूद का नाम) वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष | | | | | | | | |
| (| | | er | vears | | | वाणिज्य | | |
| (| ii) is recomme | nded/aft | | • | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट मेंवश्विववद्यालय की | ने ओर से भाग | वाणिज्य निर्धारण | या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में रनातकोत्तर उपाधि के समकक्ष अहेता के किये जाने के संबंध में | |
| (| ii) is recomme months, and th | nded/aft erefore | this ce | rtificate shall be | | ने ओर से भाग | वाणिज्य निर्धारण महोदय, | किये जाने के संबंध में | |
| () | ii) is recomme months, and th valid till | nded/aft erefore | this ce (DI | ertificate shall be D) (MM) (YY) | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट मेंवश्विववद्यालय की | त्री ओर से भाग | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उप | किये जाने के संबंध में र्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक | |
| () | ii) is recomme months, and th valid till e.g. | nded/aft erefore Left/righ | this ce (DI t/both <i>a</i> | ertificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट मेंवश्वविद्यालय के लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में | भी ओर से भाग अथवा इंचार्ज खेल | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उप अनुभाग- | किये जाने के संबंध में र्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक –2 उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–849/का–2/2021 दिनांक 07. | |
| ((| ii) is recomme months, and the valid till e.g. te.g. | erefore Left/right Single ey | this ce (DI t/both a ye/both | ertificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट मेंवश्वविद्यालय के लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अ | भी ओर से भाग थिवा इंचार्ज खेल दिया गया है। | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उप अनुभाग- 10.2021 | किये जाने के संबंध में र्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक –2 उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–849 / का–2 / 2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक | |
| () | ii) is recomme months, and the valid till e.g. te.g. | nded/aft erefore Left/righ | this ce (DI t/both a ye/both | ertificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट मेंवश्वविद्यालय के लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अ कूदवश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्र | शे ओर से भाग थिया इंचार्ज खेल दिया गया है। | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उप अनुभाग- 10.2021 सांख्यिक | किये जाने के संबंध में र्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक –2 उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849 / का—2 / 2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक विय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता | |
| () () ## | ii) is recomme months, and th valid till e.g. e.g. e.g. | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ | this ce (DI t/both a ye/both ht/both | ertificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs a eyes ears | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट मेंवश्वविद्यालय के लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अ कूदविश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर रिखान | शे ओर से भाग थवा इंचार्ज खेल दिया गया है। | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उप अनुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य | किये जाने के संबंध में र्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक -2 उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849 / का—2 / 2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक रीय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता II गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के | |
| ((((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and the valid till e.g. e.g. e.g e.g. | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ | this ce (DI t/both a ye/both ht/both | ortificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs a eyes ears ame and Seal | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट मेंविश्वविद्यालय के लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अ कूदविश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर र्र स्थान | शे ओर से भाग थिवा इंचार्ज खेल दिया गया है। | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उप अनुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य समकक्ष | किये जाने के संबंध में र्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक -2 उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849 / का—2 / 2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक रीय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता II गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। | |
| ((((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and the valid till e.g. e.g. e.g. | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember | this ce (DI t/both a ye/both nt/both al Na of th | ortificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs a eyes ears ame and Seal ne Chairperson | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट मेंविश्वविद्यालय के लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अकूदविश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर र्ष स्थान हस्ताक्षर | ी ओर से भाग १थवा इंचार्ज खेल दिया गया है। | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उप अनुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य समकक्ष 2—उल्ले | किये जाने के संबंध में र्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक –2 उठप्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849 / का—2 / 2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक होय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता हा गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उठप्रठ सरकारी | |
| ((((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and the valid till e.g. e.g. e.g e.g. | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember | this ce (DI t/both a ye/both nt/both Ni of th | ortificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs a eyes ears ame and Seal ne Chairperson and seal of the | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट मेंविश्वविद्यालय के लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अ कूदविश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर रिखानहस्ताक्षर | शे ओर से भाग थया इंचार्ज खेल दिया गया है। | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उप अनुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र | किये जाने के संबंध में र्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक –2 उठप्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849 / का—2 / 2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक होय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता हा गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उठप्रठ सरकारी | |
| ((((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and the valid till e.g. e.g. e.g. e.g. where and Seal of Member of M | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember | this ce (DI t/both a ye/both nt/both I Na of th nature Medic | ertificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs a eyes ears ame and Seal arms Chairperson and seal of the eal Authority. | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट मेंविश्वविद्यालय के लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अ कूदविश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर रिस्थान हस्ताक्षर | हो ओर से भाग | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उप अनुभाग- 10.2021 सांख्यित गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) मार | किये जाने के संबंध में र्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक –2 उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849/का—2/2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक रीय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता ा गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में रनातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उ०प्र० सरकारी सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हतायें के प्रस्तर—11 में वर्णित प्रोग्यता निम्नानुसार है:— त में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय | |
| ((((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and the valid till | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember Sig | this ce (DI t/both a ye/both nt/both li Na of tr nature Medic Counter | ortificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs a eyes ears ame and Seal are Chairperson and seal of the real Authority. | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय के लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अ कूदविश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर रिखान हस्ताक्षर दिनांक | हो ओर से भाग | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उप अनुभाग- 10.2021 सांख्यित गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार | किये जाने के संबंध में र्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक –2 उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849 / का—2 / 2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक होय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता हा गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उ०प्र० सरकारी झांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हतायें के प्रस्तर—11 में वर्णित धोग्यता निम्नानुसार है:— हत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय ही या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या | |
| ((((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and the valid till | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember Sig | this ce (DI t/both a ye/both nt/both of th nature Medic Countee | ortificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs a eyes ears ame and Seal are Chairperson and seal of the al Authority. rsigned by the dedical Officer | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय के लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अ कूदविश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर रिखान | शे ओर से भाग | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उप अनुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार सांख्यिक सरकार | किये जाने के संबंध में र्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक –2 उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849 / का—2 / 2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक होय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता हा गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उ०प्र० सरकारी झांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हतायें के प्रस्तर—11 में वर्णित धोग्यता निम्नानुसार है:— हत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय ही या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। | |
| ((((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and the valid till | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember Sig | this ce (DI t/both a ye/both nt/both of th nature Medic Countee | ortificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs a eyes ears ame and Seal are Chairperson and seal of the real Authority. | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय के लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अ कूदविश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर रिखान | शे ओर से भाग | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उप अनुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार सांख्यिक सरकार 3—उक्त | किये जाने के संबंध में र्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक –2 उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849 / का—2 / 2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता । गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उ०प्र० सरकारी झांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हतायें के प्रस्तर—11 में वर्णित योग्यता निम्नानुसार है:— रत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय की या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। के क्रम में उ०प्र० लोक सेवा आयोग, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा | |
| ((((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and the valid till | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember Sig | this ce (DI t/both a ye/both nt/both al Ni of th nature Medic Counter Chief M | rtificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs a eyes ears ame and Seal ne Chairperson and seal of the al Authority. rsigned by the fledical Officer vith seal) | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय के लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अ कूदविश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर रिखान | शे ओर से भाग | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उपुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार सांख्यिक सरकार 3—उक्त उच्च शि | किये जाने के संबंध में र्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक -2 उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849 / का—2 / 2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक ठीय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता II गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में रनातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उ०प्र0 सरकारी सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हतायें के प्रस्तर—11 में वर्णित योग्यता निम्नानुसार है:— रत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय की या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में रनातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। के क्रम में उ०प्र0 लोक सेवा आयोग, उ०प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा क्षा विभाग, उ०प्र0 शासन के साथ विस्तृत विचार विमर्श तथा उ०प्र0 लोक सेवा | |
| ((((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and the valid till D - e.g. t - e.g. e.g. e.g. e.g. Imme and Seal of Member Name of Member of Member signature/thumb impression the person in whose favortificate of disability is issued to the value of | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember Sig on (jud | this ce (DI t/both a ye/both nt/both al Ni of th nature Medic Counter Chief M (W | rtificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs a eyes ears ame and Seal arms Chairperson and seal of the al Authority. rsigned by the dedical Officer with seal) बाग, स्वतंत्रता संग्राम के लिये आरक्षण), | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में | शे ओर से भाग ।थवा इंचार्ज खेल दिया गया है। इंचार्ज खेल–कूद गा। इंचार्ज खेल–कूद | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उप अनुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार सांख्यिक सरकार 3—उक्त उच्च शि | किये जाने के संबंध में र्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक -2 उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849 / का—2 / 2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक ठीय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता ॥ गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उ०प्र० सरकारी सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हतायें के प्रस्तर—11 में वर्णित योग्यता निम्नानुसार है:— ति में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय की या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। के क्रम में उ०प्र० लोक सेवा आयोग, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा क्षा विभाग, उ०प्र० शासन के साथ विस्तृत विचार विमर्श तथा उ०प्र० लोक सेवा के पत्र संख्या 1475 / 31 / ई—1 / 2023—2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उ०प्र० | |
| ((((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and the valid till | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember Sig on (our led रिक रूप और भूतपूर्व | this ce (DI t/both a ye/both nt/both al Ni of th nature Medic Counter Chief M (W | rtificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs a eyes ears ame and Seal arms Chairperson and seal of the al Authority. rsigned by the dedical Officer with seal) बाग, स्वतंत्रता संग्राम के लिये आरक्षण), | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में | शे ओर से भाग ।थवा इंचार्ज खेल दिया गया है। इंचार्ज खेल–कूद गा। इंचार्ज खेल–कूद | वाणिज्य निर्धारण महोदय, अनुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक य (1) भार सांख्यिक सरकार 3—उक्त उच्च शि आयोग व अधीनस्थ | किये जाने के संबंध में र्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक -2 उठप्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849 / का—2 / 2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक कीय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता हा गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उठप्रठ सरकारी सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हतायें के प्रस्तर—11 में वर्णित योग्यता निम्नानुसार है:— तत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय की या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। के क्रम में उठप्रठ लोक सेवा आयोग, उठप्रठ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा क्षा विभाग, उठप्रठ शासन के साथ विस्तृत विचार विमर्श तथा उठप्रठ लोक सेवा के पत्र संख्या 1475 / 31 / ई—1 / 2023—2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उठप्रठ प्र सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या 270 / गोपन / 1 / 7 / 2022 / 2024 दिनांक | |
| ((((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and th valid till D - e.g. e.g. e.g. e.g. e.g. e.g. e.g. e. | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember Sig on (pur (p | this ce (DI t/both a ye/both nt/both al Ni of th nature Medic Counter Chief M (W | rtificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs a eyes ears ame and Seal arms Chairperson and seal of the al Authority. rsigned by the dedical Officer with seal) बाग, स्वतंत्रता संग्राम के लिये आरक्षण), | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में | शे ओर से भाग श्या इंचार्ज खेल दिया गया है। इंचार्ज खेल—कूद गा। इंपि खेल—कूद र प्रदेश | वाणिज्य निर्धारण महोदय, अनुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार सांख्यिक सरकार 3—उक्त उच्च शि आयोग व अधीनस्थ | किये जाने के संबंध में र्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक -2 उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849 / का—2 / 2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक कीय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता हा गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उ०प्र० सरकारी सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हतायें के प्रस्तर—11 में वर्णित वोग्यता निम्नानुसार है:— हत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय की या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। के क्रम में उ०प्र० लोक सेवा आयोग, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा क्षा विभाग, उ०प्र० शासन के साथ विस्तृत विचार विमर्श तथा उ०प्र० लोक सेवा के पत्र संख्या 1475 / 31 / ई—1 / 2023—2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उ०प्र० प्र सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या 270 / गोपन / 1 / 7 / 2022 / 2024 दिनांक 1024 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त | |
| () () #£ Na of cer | ii) is recomme months, and the valid till D - e.g. e.g. e.g. e.g. e.g. e.g. e.g. e. | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember Sig on (our ued िरक रूप और भूतपूर शोधित) के का प्रपत्र। ग्रमाण-पत्र | this ce (DI t/both a ye/both nt/both al Na of th nature Medic Counter Chief M (w से विकर्व सैनिक अनुसार व | artificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs a eyes ears ame and Seal are Chairperson and seal of the eal Authority. Arsigned by the dedical Officer with seal) असंग, स्वतंत्रता संग्राम के लिये आरक्षण), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में | शे ओर से भाग अवा इंचार्ज खेल दिया गया है। इंचार्ज खेल—कूद गा। इंपि खेल—कूद र प्रदेश लए कुशल | वाणिज्य निर्धारण महोदय, अनुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार सांख्यिक सरकार 3—उक्त उच्च शि आयोग व अधीनस्थ 06.03.20 निम्नांकि | किये जाने के संबंध में युंक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक -2 उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849 / का—2 / 2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक शिय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता ॥ गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उ०प्र० सरकारी सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हतायें के प्रस्तर—11 में वर्णित योग्यता निम्नानुसार है:— स्त में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय की या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। के क्रम में उ०प्र० लोक सेवा आयोग, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा क्षा विभाग, उ०प्र० शासन के साथ विस्तृत विचार विमर्श तथा उ०प्र० लोक सेवा के पत्र संख्या 1475 / 31 / ई—1 / 2023—2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उ०प्र० प्र सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या 270 / गोपन / 1 / 7 / 2022 / 2024 दिनांक 1024 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पत्र अर्हताओं को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में | |
| (((# £ Na of cer | ii) is recomme months, and the valid till | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember Sig on (our ued ि रिक रूप और भूतपूर रोगिंदित) के का प्रपत्र। ग्रमाण-पत्र | this ce (DI t/both a ye/both nt/both al Ni of th nature Medic Counted Chief M (w से विकत् | artificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs a eyes ears ame and Seal are Chairperson and seal of the al Authority. Irsigned by the dedical Officer with seal) बाग, स्वतंत्रता संग्राम के लिये आरक्षण), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में | शे ओर से भाग | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उनुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार सांख्यिक सरकार उच्च शि आयोग र अधीनस्थ 06.03.20 निम्नांकि सहायक | किये जाने के संबंध में युंक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक –2 उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849 / का—2 / 2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक शिय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता हा गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उ०प्र० सरकारी सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हतायें के प्रस्तर—11 में वर्णित योग्यता निम्नानुसार है:— इत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय की या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। के क्रम में उ०प्र० लोक सेवा आयोग, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा क्षा विभाग, उ०प्र० शासन के साथ विस्तृत विचार विमर्श तथा उ०प्र० लोक सेवा के पत्र संख्या 1475 / 31 / ई—1 / 2023—2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उ०प्र० प्र सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या 270 / गोपन / 1 / 7 / 2022 / 2024 दिनांक 1024 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पत्र अर्हताओं को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यिकीय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक | |
| () () () # £ Na of cer | ii) is recomme months, and the valid till | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember Sig on (our ued िक रूप और भूतपूर शोधित) के का प्रपत्र। प्रमाण–पत्र | this ce (DI t/both a ye/both nt/both al Ni of th nature Medic Counted Chief M (w से विकत् ई सैनिक अनुसार र | artificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs a eyes ears ame and Seal are Chairperson and seal of the al Authority. Arsigned by the dedical Officer with seal) बाग, स्वतंत्रता संग्राम के लिये आरक्षण), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में | हो ओर से भाग | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उनुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार सांख्यिक सरकार उच्च शि आयोग व अधीनस्थ 06.03.20 निम्नांकि सहायक | किये जाने के संबंध में र्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक -2 उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849/का—2/2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक रीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता हा गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उ०प्र० सरकारी सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हतायें के प्रस्तर—11 में वर्णित योग्यता निम्नानुसार है:— ति में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय की या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। के क्रम में उ०प्र० लोक सेवा आयोग, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा क्षा विभाग, उ०प्र० शासन के साथ विस्तृत विचार विमर्श तथा उ०प्र० लोक सेवा के पत्र संख्या 1475/31/ई—1/2023—2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उ०प्र० य सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या 270/गोपन/1/7/2022/2024 दिनांक त्य अर्हताओं को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में | |
| () () () # £ Na of cer जत्त | ii) is recomme months, and th valid till | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember Sig on (our (our (our) ed our) ed our (our) ed o | this ce (DI t/both a ye/both nt/both al Na of th nature Medic Counter Chief M (w से विकल् र्व सैनिक अनुसार र | artificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs a eyes ears ame and Seal ne Chairperson and seal of the eal Authority. Irsigned by the dedical Officer with seal) Artificate shall be and seal of the eal Authority. Artificate shall be a series of the eal Authority. Artificate shall be a series of the eal seal of the eal Authority. Artificate shall be a series of the ears and seal of the eal Authority. Artificate shall be a series of the eyes ears are and seal of the ears and seal of the ears are artificated and seal of the | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में | हो ओर से भाग अथवा इंचार्ज खेल दिया गया है। इंचार्ज खेल–कूद गा। इंचार्ज खेल–कूद तर प्रदेश लिए कुशल ही (पूरा पता) के विद्यार्थी ने थान का नाम) में | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उनुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार सांख्यिक सरकार उच्च शि आयोग व अधीनस्थ 06.03.20 निम्नांकि सहायक | किये जाने के संबंध में युंक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक –2 उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849 / का—2 / 2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक शिय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता हा गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उ०प्र० सरकारी सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हतायें के प्रस्तर—11 में वर्णित योग्यता निम्नानुसार है:— इत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय की या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। के क्रम में उ०प्र० लोक सेवा आयोग, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा क्षा विभाग, उ०प्र० शासन के साथ विस्तृत विचार विमर्श तथा उ०प्र० लोक सेवा के पत्र संख्या 1475 / 31 / ई—1 / 2023—2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उ०प्र० प्र सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या 270 / गोपन / 1 / 7 / 2022 / 2024 दिनांक 1024 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पत्र अर्हताओं को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यिकीय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक | |
| () () () # £ Na of cer उत्ता | ii) is recomme months, and th valid till | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember Sig on () our () ued िरक रूप और भूतपूर होोधित) के का प्रपत्र। प्रमाण-पत्र ो | this ce (DI t/both a ye/both nt/both al Na of th nature Medic Counted Chief M (w से विकल् र्व सैनिक अनुसार र | artificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs a eyes ears ame and Seal ne Chairperson and seal of the eal Authority. Irsigned by the Medical Officer with seal) Ani , स्वतंत्रता संग्राम में के लिये आरक्षण), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पे ग्राम— नगर— . शैरिक रूप से विकलांग, लिये आरक्षण) अधिनियम, | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में | हो ओर से भाग अथवा इंचार्ज खेल दिया गया है। अथवा इंचार्ज खेल दिया गया है। इंचार्ज खेल—कूद गा। इंचार्ज खेल—कूद तर प्रदेश लिए कुशल (पूरा पता) यान का नाम) में रिखेल—कूद का | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उप अनुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार सांख्यिक सरकार 3—उक्त उच्च शि आयोग र अधीनस्थ 06.03.20 निम्नांकि सहायक अर्हता र स्नातको क्र.सं. | किये जाने के संबंध में र्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक —2 उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849/का—2/2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक होय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता वा गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में रनातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उ०प्र० सरकारी सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हतायें के प्रस्तर—11 में वर्णित योग्यता निम्नानुसार है:— तत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय की या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में रनातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। के क्रम में उ०प्र० लोक सेवा आयोग, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा क्षा विभाग, उ०प्र० शासन के साथ विस्तृत विचार विमर्श तथा उ०प्र० लोक सेवा के पत्र संख्या 1475/31/ई—1/2023—2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उ०प्र० व्यं सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या 270/गोपन/1/7/2022/2024 दिनांक 1224 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त का अर्हताओं को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक ताणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में त्रार के समकक्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:— | |
| () () () # £ Na of cer उत्ता | ii) is recomme months, and th valid till D - e.g. e.g. e.g. e.g. e.g. e.g. e.g. e. | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember Sig on () our () led िरक रूप और भूतपूर होगिधित) के का प्रपत्र। प्रवेश लोक और भूतपूर्व र नी हैं और श्री ो का पुत्र) त | this ce (DI t/both a ye/both nt/both I Ni of th nature Medic Counted Counted Chief N (w से विकल् वें सैनिक अनुसार र | artificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs a eyes ears ame and Seal ne Chairperson and seal of the eal Authority. Irsigned by the Medical Officer with seal) अनंग, स्वतंत्रता संग्राम में के लिये आरक्षण), स्वतंत्रता संग्राम मेनानी पे ग्राम– नगर– . शैरिक रूप से विकलांग, लिये आरक्षण) अधिनियम, / कुमारी (आश्रित) | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में | ही ओर से भाग आया इंचार्ज खेल दिया गया है। इंचार्ज खेल—कूद गा। इंपिय खेल—कूद गा। लिए कुशल (पूरा पता) के विद्यार्थी ने थान का नाम) में र खेल—कूद का र से भाग लिया। | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उप अनुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार सांख्यिक सरकार 3—उक्त उच्च शि आयोग र अधीनस्थ 06.03.20 निम्नांकि सहायक अर्हता र स्नातको क्र.सं. | किये जाने के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक —2 उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849/का—2/2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक शेय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता वा गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में रनातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उ०प्र० सरकारी सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हतायें के प्रस्तर—11 में वर्णित योग्यता निम्नानुसार है:— वत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय की या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में रनातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। के क्रम में उ०प्र० लोक सेवा आयोग, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा क्षा विभाग, उ०प्र० शासन के साथ विस्तृत विचार विमर्श तथा उ०प्र० लोक सेवा के पत्र संख्या 1475/31/ई—1/2023—2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उ०प्र० य संवा चयन आयोग के पत्र संख्या 270/गोपन/1/7/2022/2024 दिनांक 1224 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त का अर्हताओं को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक तिणत या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में त्तर के समकक्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:— पाठ्यक्रम | |
| ((((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and th valid till D - e.g. e.g. e.g. e.g. e.g. e.g. e.g. e. | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember Sig on () our () led रिक रूप और भूतपूर् शोधित) के का प्रपत्र। प्रमाण—पत्र ो | this ce (DI t/both a ye/both nt/both I Na of th nature Medic Counted Chief M (w से विकव् ई सैनिक अनुसार र | artificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs a eyes ears ame and Seal ne Chairperson and seal of the al Authority. resigned by the Medical Officer vith seal) बांग, स्वतंत्रता संग्राम तें के लिये आरक्षण), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ते ग्राम— नगर— तिरु कारक्षण अधिनियम, / कुमारी (आश्रित) | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में | ही ओर से भाग आया इंचार्ज खेल दिया गया है। इंचार्ज खेल—कूद गा। इंपिय खेल—कूद गा। लिए कुशल (पूरा पता) के विद्यार्थी ने थान का नाम) में र खेल—कूद का र से भाग लिया। | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उप अनुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार सांख्यिक सरकार 3—उक्त उच्च शि आयोग र अधीनस्थ 06.03.20 निम्नांकि सहायक अर्हता र स्नातको क्र.सं. | कुये जाने के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक —2 उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849/का—2/2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक रोय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता हा गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में रनातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उ०प्र० सरकारी सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हतायें के प्रस्तर—11 में वर्णित योग्यता निम्नानुसार है:— तत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय की या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में रनातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। के क्रम में उ०प्र० लोक सेवा आयोग, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा का कि मम संख्या 1475/31/ई—1/2023—2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उ०प्र० व्य संख्या 1475/31/ई—1/2023—2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उ०प्र० व्य संख्या वयन आयोग के पत्र संख्या 270/गोपन/1/7/2022/2024 दिनांक 1024 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त का अर्हताओं को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यिकीय अधिकारी/ सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में त्तर के समकक्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:— पाठ्यक्रम MBA, | |
| ((((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and th valid till D - e.g. e.g. e.g. e.g. e.g. e.g. e.g. e. | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember Sig on () ued रिक रूप और भूतपूर्व सोधित) के का प्रपत्र । प्रमाण—पत्र नी हैं और श्री ो का पुत्र) त कित अधिनिय | this ce (DI t/both a ye/both nt/both al Ni of th nature Medic Counter Chief M (w से विकद् र्व सैनिक अनुसार दें सोनिकों के ो /श्रीमती ाथा पौत्री थम, 1993 | artificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs a eyes ears ame and Seal ne Chairperson and seal of the al Authority. resigned by the Medical Officer vith seal) बांग, स्वतंत्रता संग्राम तें के लिये आरक्षण), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ते ग्राम— नगर— तिरु कारक्षण अधिनियम, / कुमारी (आश्रित) | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में | हो ओर से भाग | वाणिज्य निर्धारण महोदय, अनुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार सांख्यिक सरकार 3—उक्त जिल्ला उच्च शि आयोग व अधीनस्थ 06.03.20 निम्नांकि सहायक अर्हता र स्नातको क्र.सं. | किये जाने के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक —2 उठप्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849 / का—2 / 2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक शिय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता । गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उठप्रठ सरकारी सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हतायें के प्रस्तर—11 में वर्णित योग्यता निम्नानुसार है:— तत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय की या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । के क्रम में उठप्रठ लोक सेवा आयोग, उठप्रठ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा क्षा विभाग, उठप्रठ लोक सेवा आयोग, उठप्रठ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा को पत्र संख्या 1475 / 31 / ई—1 / 2023—2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उठप्रठ य सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या 270 / गोपन / 1 / 7 / 2022 / 2024 दिनांक 124 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त का अर्हताओं को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यिकीय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में त्तर के समकक्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:— पाठ्यक्रम MBA, MBA(dual specialization in Production & Finance management) MBA Finance and Accounting | |
| ((((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and th valid till | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember Sig on () our led रिक रूप और भूतपूर्व सोधित) के का प्रपत्र । प्रमाण—पत्र नी हैं और श्री ो का पुत्र) त कित अधिनिय । संग्राम सेना हस्ता | this ce (DI t/both a ye/both nt/both al Ni of th nature Medic Counter Chief M (w से विकद् र्व सैनिक अनुसार र | rtificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs eyes ears ame and Seal ne Chairperson and seal of the al Authority. rsigned by the ledical Officer vith seal) मांग, स्वतंत्रता संग्राम कें लिये आरक्षण), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ग्राम————— नगर— रीरिक रूप से विकलांग, लिये आरक्षण) अधिनयम, / कुमारी (आश्रित) ———— (पुत्र की पुत्री या पुत्री की (यथासंशोधित) के प्राविधानों ——के आश्रित हैं। | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में | हो ओर से भाग | वाणिज्य निर्धारण महोदय, अनुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार सांख्यिक सरकार 3—उक्त जिल्ला उच्च शि आयोग व अधीनस्थ 06.03.20 निम्नांकि सहायक अर्हता र स्नातको क्र.सं. | किये जाने के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक —2 उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849/का—2/2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक शिय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता ।। गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उ०प्र० सरकारी सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हतायें के प्रस्तर—11 में वर्णित योग्यता निम्नानुसार है:— क्त में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय की या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। के क्रम में उ०प्र० लोक सेवा आयोग, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा क्षा विभाग, उ०प्र० शासन के साथ विस्तृत विचार विमर्श तथा उ०प्र० लोक सेवा के पत्र संख्या 1475/31/ई—1/2023—2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उ०प्र० य सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या 270/गोपन/1/7/2022/2024 दिनांक 124 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त का अर्हताओं को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में त्रर के समकक्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:— पाठ्यक्रम MBA, MBA(dual specialization in Production & Finance management) MBA Finance and Accounting MBA Financial Management | |
| ((((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and th valid till | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember Sig on () our led रिक रूप और भूतपूर शोधित) के का प्रपत्र । माण-पत्र नी हैं और श्री के सुत्र पूर्व प्र नी हैं और श्री ा संग्राम सेना पूरा न | this ce (DI t/both a ye/both nt/both al Ni of th nature Medic Countel Chief M (w से विकत् रे सैनिक अनुसार र | rtificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs eyes ears ame and Seal ne Chairperson and seal of the al Authority. rsigned by the dedical Officer vith seal) मांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिये आरक्षण), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ग्राम———— नगर— रीरिक रूप से विकलांग, लिये आरक्षण) अधिनयम, / कुमारी (आश्रित) ——— (पुत्र की पुत्री या पुत्री की (यथासंशोधित) के प्राविधानों ——के आश्रित हैं। | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में | हो ओर से भाग | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उप अनुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार सांख्यिक सरकार 3—उक्त उच्च शि आयोग र अधीनस्थ 06.03.20 निम्नांकि सहायक अर्हता र स्नातको क्र.सं. 1. 2. | र्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक –2 उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849/का—2/2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक कीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अईता । गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उ०प्र० सरकारी सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हतायें के प्रस्तर—11 में वर्णित प्रेग्यता निम्नानुसार है:— कि में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय की या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। के क्रम में उ०प्र० लोक सेवा आयोग, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा क्षा विभाग, उ०प्र० शासन के साथ विस्तृत विचार विमर्श तथा उ०प्र० लोक सेवा को पत्र संख्या 1475/31/ई—1/2023—2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उ०प्र० य सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या 270/गोपन/1/7/2022/2024 दिनांक का उप्त अर्हताओं को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकीय ने पत्र की शैक्षिक गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में त्तर के समकक्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:— पात्यक्रम MBA, MBA(dual specialization in Production & Finance management) MBA Finance and Accounting MBA Financed Control) | |
| ((((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and th valid till | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember Sig on () our ued रिक रूप और भूतपूर्व सोधित) के का प्रपत्र। प्रमाण–पत्र नी हैं और श्री ो का पुत्र) त कित अधिनिय ा संग्राम सेना पूरा न | this ce (DI t/both a ye/both nt/both al Ni of th nature Medic Countel Chief M (W से विकट सेनिक अनुसार रे तो/श्रीमती श्या पौत्री थ्यम, 1993 । ानी) आसर | rtificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs eyes ears ame and Seal ne Chairperson and seal of the al Authority. rsigned by the dedical Officer vith seal) बाग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वे ग्राम— | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में | हो ओर से भाग आया इंचार्ज खेल दिया गया है। इंचार्ज खेल—कूद गा। इंप्रीय खेल—कूद गा। इंप्रीय खेल—कूद तर प्रदेश हे विद्यार्थी ने थान का नाम) में र खेल—कूद का र से भाग लिया। स्थान प्राप्त | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उप अनुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार सांख्यिक सरकार 3—उक्त उच्च शि आयोग र अधीनस्थ 06.03.20 निम्नांकि सहायक अर्हता र स्नातको क्र.सं. 1. 2. | कुयं जाने के संबंध में र्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक -2 उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849/का—2/2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक कीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अईता हा गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उ०प्र० सरकारी हाखियकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हतायें के प्रस्तर—11 में वर्णित होग्यता निम्नानुसार है:— हत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय हो या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या ह्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। के क्रम में उ०प्र० लोक सेवा आयोग, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा ह्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। के फत्र मंख्या 1475/31/ई—1/2023—2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उ०प्र० वर सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या 270/गोपन/1/7/2022/2024 दिनांक के पत्र संख्या 1475/31/ई—1/2023—2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उ०प्र० वर सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या 270/गोपन/1/7/2022/2024 दिनांक त्व अर्हताओं को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक ताणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में त्तर के समकक्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:— पात्यक्रम MBA, MBA(dual specialization in Production & Finance management) MBA Finance and Accounting MBA Financed Control) MBA (HR) | |
| ((((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and th valid till | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember Sig on () our ued रिक रूप और भूतपूर्व सोधित) के का प्रपत्र। प्रमाण–पत्र नी हैं और श्री ो का पुत्र) त कित अधिनिय ा संग्राम सेना पूरा न | this ce (DI t/both a ye/both nt/both al Ni of th nature Medic Countel Chief M (W से विकट सेनिक अनुसार रेने सेवा (शा सैनिकों के ते/श्रीमती श्या पौत्री थ्यम, 1993 वानी) असर | rtificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs eyes ears ame and Seal ne Chairperson and seal of the al Authority. rsigned by the dedical Officer with seal) बाग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ते ग्राम———— नगर— रिरिक रूप से विकलांग, लिये आरक्षण) अधिनियम, / कुमारी (आश्रित) ———— (पुत्र की पुत्री या पुत्री की (यथासंशोधित) के प्राविधानों ——के आश्रित हैं। | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में | हो ओर से भाग आया इंचार्ज खेल दिया गया है। इंचार्ज खेल—कूद गा। इंपिय खेल—कूद गा। इंपिय खेल—कूद तर प्रदेश लिए कुशल शिंद्या पता) अंग के विद्यार्थी ने थान का नाम) में अंखेल—कूद का र से भाग लिया। र से भाग लिया। इंसा में उपलब्ध | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उप अनुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार सांख्यिक सरकार 3—उक्त उच्च शि आयोग व अधीनस्थ 06.03.20 निम्नांकि सहायक अर्हता ग्र स्नातको क्र.सं. 1. 2. | कुये जाने के संबंध में र्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक -2 उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849/का—2/2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक कीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता हा गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उ०प्र० सरकारी हांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हतायें के प्रस्तर—11 में वर्णित दोग्यता निम्नानुसार है:— तत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय की या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। के क्रम में उ०प्र० लोक सेवा आयोग, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा क्षा विभाग, उ०प्र० शासन के साथ विस्तृत विचार विमर्श तथा उ०प्र० लोक सेवा को पत्र संख्या 1475/31/ई—1/2023—2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उ०प्र० वर्ष सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या 270/गोपन/1/7/2022/2024 दिनांक वर्ष अर्हताओं को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यिकीय अधिकारी/ सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यिकीय अधिकारी/ सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक वर्ष के समकक्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लया गया है:— पात्यक्रम MBA, MBA(dual specialization in Production & Finance management) MBA Finance and Accounting MBA Financed Control) MBA (HR) Master of Management Sciences | |
| ((((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and th valid till | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember Sig on () our ued रिक रूप और भूतपूर्व सोधित) के का प्रपत्र। प्रमाण–पत्र नी हैं और श्री ो का पुत्र) त कित अधिनिय ा संग्राम सेना पूरा न | this ce (DI t/both a ye/both nt/both al Ni of th nature Medic Countel Chief M (W से विकट सेनिक अनुसार रेने सेवा (शा सैनिकों के ते/श्रीमती श्या पौत्री थ्यम, 1993 वानी) असर | rtificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs eyes ears ame and Seal ne Chairperson and seal of the al Authority. rsigned by the dedical Officer with seal) बाग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ते ग्राम———— नगर— रिरिक रूप से विकलांग, लिये आरक्षण) अधिनियम, / कुमारी (आश्रित) ———— (पुत्र की पुत्री या पुत्री की (यथासंशोधित) के प्राविधानों ——के आश्रित हैं। | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में | हो ओर से भाग आया इंचार्ज खेल दिया गया है। इंचार्ज खेल—कूद गा। इंपोर्ज खेल—कूद गा। लिए कुशल शि (पूरा पता) के विद्यार्थी ने थान का नाम) में र खेल—कूद का र से भाग लिया। स्थान प्राप्त होक्षा में उपलब्ध | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उप अनुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार सांख्यिक सरकार 3—उक्त उच्च शि आयोग व अधीनरथ 06.03.20 निम्नांकि सहायक अर्हता र स्नातको क्र.सं. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | कुये जाने के संबंध में र्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक -2 उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849/का—2/2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक कीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता हा गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उ०प्र० सरकारी सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हतायें के प्रस्तर—11 में वर्णित योग्यता निम्नानुसार है:— तत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय की या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। के क्रम में उ०प्र० लोक सेवा आयोग, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा क्षा विभाग, उ०प्र० शोसनक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। के कम में उपप्र० लोक सेवा आयोग, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा क्षा विभाग, उपप्र० शोसनक के साथ विस्तृत विचार विमर्श तथा उपप्र० लोक सेवा के पत्र संख्या 1475/31/ई—1/2023—2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उ०प्र० य सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या 270/गोपन/1/7/2022/2024 दिनांक व्यर्ध अर्थिकाओं में उपर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यिकीय अधिकारी/ सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यिकीय अधिकारी/ सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकीय ने पत्र के समकक्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय त्या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में तर के समकक्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:— पात्यक्रम MBA, MBA(dual specialization in Production & Finance management) MBA Finance and Accounting MBA Financed Control) MBA (HR) Master of Management Sciences Master of Total Quality Management, | |
| ((((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and th valid till | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember Sig on () our () led Row रूप श्रीर भूतपूर्व हिक रूप और भूतपूर्व हिन और श्री वे का पुत्र) त विकत अधिनिय । संग्राम सेना हस्ता पूरा पुदर्म माण—पत्र | this ce (DI t/both a ye/both nt/both aI Na of th nature Medic Counted Chief M (w से विकव् व सैनिक अनुसार र | artificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs a eyes ears ame and Seal me Chairperson and seal of the al Authority. Irsigned by the Medical Officer vith seal) Arith, स्वतंत्रता संग्राम में के लिये आरक्षण), स्वतंत्रता संग्राम में नानी वे ग्राम———————————————————————————————————— | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में | शे ओर से भाग | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उप अनुभाग- 10.2021 सांख्यिक रणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार सांख्यिक सरकार 3—उक्त उच्च शि आयोग व अधीनस्थ 06.03.20 निम्नांकि सहायक अर्हता र स्नातको क्र.सं. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | कुयं जाने के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक –2 उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849/का—2/2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक शेध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता वा गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उ0प्र0 सरकारी सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हतायें के प्रस्तर—11 में वर्णित वोग्यता निम्नानुसार है:— तत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय की या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। के क्रम में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा को पत्र संख्या 1475/31/ई—1/2023—2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उ0प्र0 या संवा चयन आयोग के पत्र संख्या 270/गोपन/1/7/2022/2024 दिनांक 1024 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त का अर्हताओं को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यकीय अधिकारी सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यकीय अधिकारी सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यकीय अधिकारी सांख्यकीय जा वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में त्तर के समकक्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय तिया गया है:— पात्यक्रम MBA, MBA(dual specialization in Production & Finance management) MBA (Financed Control) MBA(HR) Master of Management Sciences Master of Total Quality Management, Master of Business Economics, | |
| ((((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and th valid till | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember Sig on () our () led रिक रूप और भूतपूर्व रु शोधित) के का प्रपत्र । प्रमाण—पत्र तो हैं और श्री तो का पुत्र) त कित अधिनिर ता संग्राम सेना हस्ता पूरा न पदन मुहर | this ce (DI t/both a ye/both nt/both aI Ni of th nature Medic Counter Chief M (w से विकट् र्व सैनिक अनुसार र | artificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs a eyes ears ame and Seal me Chairperson and seal of the al Authority. Irsigned by the Medical Officer vith seal) Arith, स्वतंत्रता संग्राम में के लिये आरक्षण), स्वतंत्रता संग्राम में नानी वे ग्राम———————————————————————————————————— | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में | शे ओर से भाग थिया इंचार्ज खेल दिया गया है। इंचार्ज खेल—कूद गा। इंप्रिय खेल—कूद गा। हे लिए कुशल शि (पूरा पता) के विद्यार्थी ने थान का नाम) में र खेल—कूद का र से भाग लिया। र से भाग लिया। र से भाग लिया। | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उप अनुभाग- 10.2021 साख्यिक १ - उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार साख्यिक उच्च शि आयोग व अधीनस्थ 06.03.20 निम्नांकि सहायक अर्हता र स्नातको क्र.सं. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | किये जाने के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक -2 उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849 / का—2 / 2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक कीय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता वा गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है । खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उ०प्र० सरकारी सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हतायें के प्रस्तर—11 में वर्णित वोग्यता निम्नानुसार है:— तत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय की या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । के क्रम में उ०प्र० लोक सेवा आयोग, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा को पत्र संख्या 1475/31/ई—1/2023—2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उ०प्र० या संख्या 1475/31/ई—1/2023—2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उठप्र० या संखा चयन आयोग के पत्र संख्या 270/गोपन/1/7/2022/2024 दिनांक 12.4 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आलोक में समयक विचारोपगरान्त का अर्हताओं को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक एणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में त्तर के समकक्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:— पाठ्यक्रम MBA, MBA(dual specialization in Production & Finance management) MBA Finance and Accounting MBA Financed Control) MBA (HR) Master of Management Sciences Master of Total Quality Management, Master of Financial Management, | |
| ((((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and th valid till | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember Sig on () our () led रिक रूप और भूतपूर्व रोहित) के का प्रपत्र । प्रमाण—पत्र नी हैं और श्री ो का पुत्र) त विकेत अधिनिय ा संग्राम सेना हस्ता पूरा न पुतर न | this ce (DI t/both a ye/both nt/both aI Ni of th nature Medic Countel Chief M (w से विकद र्व सैनिक अनुसार र | artificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs a eyes ears ame and Seal ne Chairperson and seal of the al Authority. Irsigned by the Medical Officer vith seal) Arith the seal of the seal and the seal of the sea | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में | शे ओर से भाग | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उप अनुभाग- 10.2021 सांख्यिक 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार सांख्यिक सरकार 3—उक्त उच्च शि आयोग व अधीनस्थ 06.03.20 निम्नांकि सहायक अर्हता र स्नातको क्र.सं. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | किये जाने के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक -2 उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849 / का—2 / 2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक कीय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता वा गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है । खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उ०प्र० सरकारी सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हतायें के प्रस्तर—11 में वर्णित वोग्यता निम्नानुसार है:— तत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय की या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । के क्रम में उ०प्र० लोक सेवा आयोग, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा को पत्र संख्या 1475/31/ई—1/2023—2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उ०प्र० व सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या 270/गोपन/1/7/2022/2024 दिनांक 12.4 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आलोक में सम्यक विचारोपपरान्त का अर्हताओं को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में त्तर के समकक्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:— पाठ्यक्रम MBA, MBA(dual specialization in Production & Finance management) MBA Finance and Accounting MBA Financed Control) MBA (HR) Master of Management Sciences Master of Total Quality Management, Master of Financial Management, Master of Science and technology in Mathematics, | |
| (((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and th valid till | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember Sig on Our Led Row रूप और भूतपूर्व सोधित) के का प्रपत्र। प्रवेश लोक और भूतपूर्व सोधित) के का प्रपत्र। प्रवेश लोक और भूतपूर्व सोधित) के का प्रपत्र। प्रवेश लोक प्रवेश लोक और भूतपूर्व सोधित। के का प्रपत्र। स्रामाण—पत्र प्रवेश लोक प्रवन मुहर | this ce (DI t/both a ye/both nt/both aI Ni of th nature Medic Countel Chief M (w से विकद र्व सैनिक अनुसार र | artificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs a eyes ears ame and Seal ne Chairperson and seal of the al Authority. Irsigned by the Medical Officer vith seal) Arith the seal of the seal and the seal of the sea | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में | शे ओर से भाग थिया इंचार्ज खेल दिया गया है। इंचार्ज खेल—कूद गा। इंचार्ज खेल—कूद गा। इंपि खेल—कूद तर प्रदेश लिए कुशल शि (पूरा पता) से विद्यार्थी ने थान का नाम) में रिखेल—कूद का र से भाग लिया। या उपनिदेशक | वाणिज्य निर्धारण महोदय, अनुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार सांख्यिक सरकार उच्च शि आयोग र अधीनस्थ 06.03.20 निम्नांकि सहायक अर्हता र स्नातको क्र.सं. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | किये जाने के संबंध में र्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक -2 उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849 / का—2 / 2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक शिय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता हा गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है । खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उ०प्र० सरकारी सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हतायें के प्रस्तर—11 में वर्णित ग्रोग्यता निम्नानुसार है:— त्त में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय की या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । के क्रम में उ०प्र० लोक सेवा आयोग, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा क्षा विभाग, उ०प्र० लोक सेवा के पत्र संख्या 1475/31/ई—1/2023—2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उ०प्र० या संख्या 1475/31/ई—1/2023—2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उ०प्र० या संख्या अधिकारी में सम्यक विचारोपरान्त कार्हताओं को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यिकीय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकीय के वा नियमावली में सांख्यिकीय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकीय के पत्र के समकक्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय किया गया है:— पात्यक्रम MBA, MBA(dual specialization in Production & Finance management) MBA Finance and Accounting MBA Financed Control) MBA (HR) Master of Management Sciences Master of Total Quality Management, Master of Financial Management, Master of Science and technology in Mathematics, Master of Science and technology in Mathematics, | |
| ((((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and th valid till | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember Sig on () led on (| this ce (DI t/both a ye/both nt/both aI N: of th nature Medic Counter Chief M (w से विकट् र्व सैनिकं अनुसार र | rtificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs eyes ears ame and Seal ne Chairperson and seal of the al Authority. rsigned by the ledical Officer vith seal) मांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में के लिये आरक्षण), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में ग्राम———— नगर— रीरिक रूप से विकलांग, लिये आरक्षण) अधिनियम, / कुमारी (आश्रित) ———————————————————————————————————— | प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में | शे ओर से भाग थिया इंचार्ज खेल दिया गया है। इंचार्ज खेल—कूद गा। इंचार्ज खेल—कूद गा। इंपि खेल—कूद तर प्रदेश लिए कुशल शि (पूरा पता) से विद्यार्थी ने थान का नाम) में रिखेल—कूद का र से भाग लिया। या उपनिदेशक | वाणिज्य निर्धारण महोदय, अनुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार सांख्यिक सरकार 3—उक्त उच्च शि आयोग र अधीनस्थ 06.03.20 निम्नांकि सहायक अर्हता र स्नातको क्र.सं. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | किये जाने के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक –2 उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849 / का—2 / 2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक शिय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता हा गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है । खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उ०प्र० सरकारी सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हतायें के प्रस्तर—11 में वर्णित ग्रोग्यता निम्नानुसार है:— त्व में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय की या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । के क्रम में उ०प्र० लोक सेवा आयोग, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा क्षा विभाग, उ०प्र० लोक सेवा के पत्र संख्या 1475/31/ई—1/2023—2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उ०प्र० य सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या 270/गोपन/1/7/2022/2024 दिनांक 12.4 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त कार्हताओं को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकीय के पत्र के समकक्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय किया गया है:— पाठ्यक्रम MBA, MBA(dual specialization in Production & Finance management) MBA Finance and Accounting MBA Financed Control) MBA (Financed Control) MBA (HR) Master of Management Sciences Master of Total Quality Management, Master of Financial Management, Master of Science and technology in Mathematics, Master of Finance Control) MFC (Master of Finance Control) | |
| (((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and the valid till | गतिed/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember Sig on Our Led रिक रूप और भूतपूर्व सोधित) के का प्रपत्र। प्रवेश लोक अौर भूतपूर्व सोधित अधिनिय ा संग्राम सेना हस्ता पूरा न मुहर माण-पत्र देश की ओ | this ce (DI t/both a ye/both nt/both al Ni of th nature Medic Counter Chief M (W से विकद् र्व सैनिकं अनुसार र | rtificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs eyes ears ame and Seal ne Chairperson and seal of the al Authority. rsigned by the ledical Officer vith seal) मांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में के लिये आरक्षण), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ग्राम———— नगर— रीरिक रूप से विकलांग, लिये आरक्षण) अधिनयम, / कुमारी (आश्रित) ———— (पुत्र की पुत्री या पुत्री की (यथासंशोधित) के प्राविधानों ——के आश्रित हैं। | प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में | शे ओर से भाग थिया इंचार्ज खेल दिया गया है। इंचार्ज खेल—कूद गा। इंचार्ज खेल—कूद गा। इंपि खेल—कूद तर प्रदेश लिए कुशल शि (पूरा पता) से विद्यार्थी ने थान का नाम) में रिखेल—कूद का र से भाग लिया। या उपनिदेशक | वाणिज्य निर्धारण महोदय, अनुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार सांख्यिक सरकार 3—उक्ते उच्च शि आयोग र अधीनस्थ 06.03.20 निम्नांकि सहायक अर्हता र स्नातको क्र.सं. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | किये जाने के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक —2 उठाप्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849/का—2/2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक कीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता वा गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है । खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उठाप्र० सरकारी सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हताये के प्रस्तर—11 में वर्णित योग्यता निम्नानुसार है.— ात में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय की या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । के क्रम में उठाराठ लोक सेवा आयोग, उठाराठ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा क्षा विभाग, उठाराठ शासन के साथ विस्तृत विचार विमर्श तथा उठाराठ लोक सेवा के पत्र संख्या 1475/31/ई—1/2023—2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उठाराठ या संख्या वयन आयोग के पत्र संख्या 270/गोपन/1/7/2022/2024 दिनांक व्यवस्था अधिकारी एसांख्यकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक वाणित या गणितीय सांख्यिकीय सा वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में सांख्यकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक वाणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में त्तर के समकक्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:— पात्यक्रम MBA, MBA(dual specialization in Production & Finance management) MBA Finance and Accounting MBA Financed Control) MBA (HR) Master of Management Sciences Master of Total Quality Management, Master of Science and technology in Mathematics, Master of Science and technology in Mathematics, Master of Science and technology in Mathematics, Master of Financial Management, MFC (Master of Finance Control) | |
| (((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and the valid till | गापिक्य विशेष स्वाप्य के का प्रयत्न प्रवाप स्वाप्य प्रवाप स्वाप्य प्रविच्य स्वाप्य स् | this ce (DI t/both a ye/both nt/both al Ni of th nature Medic Countel Chief M (W से विकद र्व सैनिक अनुसार र निवार्स सेवा (शा सैनिकों के ो /श्रीमती ाथा पौत्री थ्यम, 1993 वानी) निवार्स हिनकों के रिश्रीमती श्रीमती श् | rtificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs eyes ears ame and Seal ne Chairperson and seal of the al Authority. rsigned by the ledical Officer vith seal) मांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में के लिये आरक्षण), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में ग्राम———— नगर— रीरिक रूप से विकलांग, लिये आरक्षण) अधिनयम, / कुमारी (आश्रित) ———— (पुत्र की पुत्री या पुत्री की (यथासंशोधित) के प्राविधानों ——के आश्रित हैं। | प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में | शे ओर से भाग थिया इंचार्ज खेल दिया गया है। इंचार्ज खेल—कूद गा। इंचार्ज खेल—कूद गा। इंपि खेल—कूद तर प्रदेश लिए कुशल शि (पूरा पता) से विद्यार्थी ने थान का नाम) में रिखेल—कूद का र से भाग लिया। या उपनिदेशक | वाणिज्य निर्धारण महोदय, अनुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार सांख्यिक सरकार 3—उक्ते उच्च शि आयोग व अधीनस्थ 06.03.20 निम्नांकि सहायक अर्हता र स्नातको क्र.सं. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. | किये जाने के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक -2 उठप्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-849/का-2/2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक कीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता वा गिर्मित सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उठप्र० सरकारी सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग-4 अर्हतायें के प्रस्तर-11 में वर्णित प्रोग्यता निम्नानुसार है:- त्व में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय की या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। के क्रम में उठप्र० लोक सेवा आयोग, उठप्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा क्षा विभाग, उठप्र० शासन के साथ विस्तृत विचार विमर्श तथा उठप्र० लोक सेवा को पत्र संख्या 1475/31/ई-1/2023-2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उठप्र० य सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या 270/गोपन/1/7/2022/2024 दिनांक 12.04 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त त्व अर्हताओं को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक तर के समकक्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:- पाठ्यक्रम MBA, MBA(dual specialization in Production & Finance management) MBA Finance and Accounting MBA Finance and Accounting MBA Finance and Rocounting MBA (HR) Master of Management Sciences Master of Total Quality Management, Master of Science and technology in Mathematics, Master of Science and technology in Mathematics, Master of Science and technology in Mathematics, Master of Business Economics (MBE), MFC (Master of Finance Control) M.Com M.Com | |
| ((((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and the valid till | ा संग्राम सेना हस्ता पूरा ने सम्मण—पत्र प्रदेश नवम्बर, के फार्म— प्रदेश की ओ ले खिलाड़ी फेडरेशन—/ | this ce (DI t/both a ye/both nt/both al Ni of th nature Medic Countel Chief M (W से विकट् र सैनिक अनुसार दे सेनिक अनुसार दे सेनिक अनुसार दे सेनिक जिल्ला ह्रामा ह्रामा ह्रामा ह्रामा ह्रामा ह्रामा ह्रामा ह्रामा हर्मा हरमा हर्मा हरमा हरमा हरमा हर्मा हरमा हरमा हरमा हरमा हरमा हरमा हरमा हर | rtificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs eyes ears ame and Seal ne Chairperson and seal of the al Authority. rsigned by the dedical Officer //ith seal) मांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिये आरक्षण), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ग्राम— | प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में | शे ओर से भाग श्या इंचार्ज खेल दिया गया है। इंचार्ज खेल—कूद गा। इंपार्ज खेल—कूद गा। इंपार्ज खेल—कूद गा। इंपार्ज खेल—कूद गा। हें विद्यार्थी ने थान का नाम) में थान का नाम) से थान का नाम | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उप अनुभाग-10.2021 साख्यिक र गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार साख्यिक र साख्यक अधीनरथ 06.03.20 निम्नांकि सहायक अधीनरथ र सातको कृ.सं. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. | किये जाने के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक -2 उठप्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-849/का-2/2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक कीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता वा गिर्मित सांख्यकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उठप्र० सरकारी सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग-4 अर्हतायें के प्रस्तर-11 में वर्णित प्रेग्यता निम्नानुसार है:- त्व में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय की या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। के क्रम में उठप्र० लोक सेवा आयोग, उठप्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा क्षा विभाग, उठप्र० शासन के साथ विस्तृत विचार विमर्श तथा उठप्र० लोक सेवा को पत्र संख्या 1475/31/ई-1/2023-2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उठप्र० य सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या 270/गोपन/1/7/2022/2024 दिनांक 12.04 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त त्व अर्हताओं को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक तर के समकक्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:- पाठ्यक्रम MBA, MBA(dual specialization in Production & Finance management) MBA Finance and Accounting MBA Finance and Accounting MBA (HR) Master of Management Sciences Master of Total Quality Management, Master of Science and technology in Mathematics, Master of Science and technology in Mathematics, Master of Science and technology in Mathematics, Master of Business Economics (MBE), MFC (Master of Finance Control) M.Com M.Com. (Applied Business Economics), M.Com. (Applied Business Economics), | |
| ((((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and th valid till | nded/aft erefore Left/righ' Single ey Left/Righ' and Sea ember Sig on () our led रिक रूप और भूतपूर्व रोधित) के का प्रपत्र । माण—पत्र प्रदेश लोक अौर भूतपूर्व रोधित) के का प्रपत्र । स्माण—पत्र तो हैं और श्री तो का पुत्र) त कित अधिनिय पर्वन मुहर माण—पत्र रेव पदन मुहर माण—पत्र के रूप के रू | this ce | rtificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs eyes ears ame and Seal ne Chairperson and seal of the al Authority. rsigned by the dedical Officer vith seal) बाग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिये आरक्षण), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ग्राम——— नगर— रीरिक रूप से विकलांग, लिये आरक्षण) अधिनियम, / कुमारी (आश्रित) ——— (युत्र की पुत्री या पुत्री की (यथासंशोधित) के प्राविधानों ——के आश्रित हैं। ———— के मूल निवासी हैं विकल्प से सिएशन का में सोसिएशन का में सोसिएशन का में सोसिएशन का लिए | प्रतियोगिता / दूर्नामेन्ट में | शे ओर से भाग श्या इंचार्ज खेल दिया गया है। इंचार्ज खेल—कूद गा। इंचार्ज खेल—कूद गा। इंपिर खेल—कूद गा। ले विद्यार्थी ने थान का नाम) में | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उप अनुभाग- 10.2021 सांख्यिक गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार सांख्यिक उच्च शि आयोग व अधीनस्थ 06.03.20 निम्नांकि सहायक अर्हता य स्नातको क्र.सं. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. | किये जाने के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक -2 उठप्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-849 / का-2 / 2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक शोध अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता वा गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उठप्र० सरकारी सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग-4 अर्हतायें के प्रस्तर-11 में वर्णित वोग्यता निम्नानुसार है.— ति में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय की या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । के क्रम में उठप्र० लोक सेवा आयोग, उठप्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । के क्रम में उठप्र० लाक सेवा अयोग, उठप्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा द्वारा इसके प्रमुख स्वाया प्राप्त कोई अर्हता । के क्रम में उठप्र० शासन के साथ विस्तृत विचार विमर्श तथा उठप्र० लोक सेवा के पत्र संख्या 1475/31/ई-1/2023-2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उठप्र० ये सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या 270 / गोपन / 1 / 7 / 2022 / 2024 दिनांक 204 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त कर्मिता के जत्य प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यकीय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पत्र को शैक्षिक गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में तर के समकक्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:— पात्यक्रम MBA, MBA(dual specialization in Production & Finance management) MBA Finance and Accounting MBA Financed Control) MBA (Financed Control) MBA (Financed Management MBA (Financed Control) MBA (Financed Science and technology in Mathematics, Master of Financial Management, Master of Science and technology in Mathematics, Master of Business Economics (MBE), MCOm M.Com. (Applied Business Economics), M.Com. Applied Economics | |
| ((((((((((((((((((((| ii) is recomme months, and the valid till | nded/aft erefore Left/righ Single ey Left/Righ and Sea ember Sig on (our led रिक रूप और भूतपूर्व शोधित) के का प्रपत्र। प्रमाण—पत्र नी हैं और श्री ते का पुत्र) त कित अधिनिय प्रमाण—पत्र नी हैं और श्री ते का पुत्र) त कित अधिनिय प्रमाण—पत्र नी हैं और श्री ते का पुत्र) त कित अधिनिय प्रमाण—पत्र नी हैं और श्री ते का पुत्र) त कित अधिनिय प्रमाण—पत्र प्रदेश लोक अप्रमाण—पत्र प्रदेश लोक प्रमाण—पत्र प्रदेश लोक प्रमाण—पत्र प्रदेश लोक उद्यों के लिए स्रों के लिए | this ce | rtificate shall be D) (MM) (YY) arms/legs eyes ears ame and Seal ne Chairperson and seal of the al Authority. rsigned by the dedical Officer with seal) मांग, स्वतंत्रता संग्राम तें के लिये आरक्षण), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ग्रे ग्राम— | प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में | शे ओर से भाग श्या इंचार्ज खेल दिया गया है। इंचार्ज खेल—कूद गा। इंचार्ज खेल—कूद गा। इंपिर खेल—कूद गा। ले विद्यार्थी ने थान का नाम) में | वाणिज्य निर्धारण महोदय, उप अनुभाग-10.2021 साख्यिक र गणित य समकक्ष 2—उल्ले विभाग र शैक्षिक र (1) भार साख्यिक र साख्यक अधीनरथ 06.03.20 निम्नांकि सहायक अधीनरथ र सातको कृ.सं. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. | किये जाने के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक -2 उठाठ० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-849/का-2/2021 दिनांक 07. के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक कीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता वा गिर्मित सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। खनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उठाठ० सरकारी सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग-4 अर्हतायें के प्रस्तर-11 में वर्णित वोगयता निम्नानुसार है:- ति में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय की या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। के क्रम में उठाठ० लोक सेवा आयोग, उठाठ० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा क्षा विभाग, उठाठ० शासन के साथ विस्तृत विचार विमर्श तथा उठाठ० लोक सेवा के पत्र संख्या 1475/31/ई-1/2023-2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उठाठ० य सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या 270/गोपन/1/7/2022/2024 दिनांक 12.01.2024 एवं उठाठ० य सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या उत्त अर्हताओं को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक तर के समकक्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में तत्र के समकक्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:- पाठ्यक्रम MBA, MBA(dual specialization in Production & Finance management) MBA Finance and Accounting MBA Financeal Management MBA(HR) Master of Management Sciences Master of Total Quality Management, Master of Science and technology in Mathematics, Macter of Science and technology in Mathematics, MCOM. (Applied Business Economics), M.Com. (Applied Business Economics), | |

| 20. | M.SC. Industrial Mathematics and Informatics, |
|------------|--|
| 21. | M.SC. (Tech) (Industrial) Mathematics with |
| 22. | Computer Application), M.SC Mathematics and Computer Education, |
| 23 | M.Sc. Mathematics with Computer Science, |
| 24. | M.SC. Mathematics and Computing, |
| 25. | M.SC. Mathematics and scientific computing |
| 26. 27. | M.SC. Mathematics and Statistics M.SC. Math and Statistics, |
| 28. | M.SC. (Mathematical Science Statistics), |
| 29. | M.SC. Math |
| 30. 31. | M.SC. Industrial Mathematics and Informatics |
| 32. | M.SC. Agricultural Statistic M.SC. Statistics and Computing Application, |
| 33. | M.SC. Statistics with computer Programming |
| 34. | M.SC. Bio Statistics |
| 35. | M.SC. Operational Research, |
| 36. | M.SC. Applied Statistics and Information, |
| 37. 38. | M.SC.(Statistics) M.SC.Applied Statistics, |
| 39 | M.SC. Health Statistics |
| 40. | Integrated M.SC. Statistics |
| 41. | P.G. (mathematical statistics) |
| 42. | M.A. Economies and Rural Development |
| 43. 44. | M.A.(regional and applied economics) M.A. Entire Economics, |
| 44. | M.A. Entire Economics, M.A. Math |
| 46. | M.A. Applied Economics, |
| 47. | M.A. Economics |
| 48. | M.A. (Statistics) |
| 49. | M.A. (Bio & Statistics) |
| 50. 51. | M.Tech. Mathematicians and Computing, M.SC.Mathematics and Computer Applications |
| 31. | M.SC.Mathematics and Computer Applications (Mathematics with Computer Application) |
| 4—अतः | मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी / सहायक |
| शोध आ | धेकारी (सांख्यिकी) पद हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से |
| गणित र | ग गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर |
| | ही समकक्षता के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। |
| | सनादेश भविष्य में विज्ञापित होने वाले पदों एवं ऐसे पदों पर लागू होगा, जिन विज्ञापन हो चुका है किन्तु आवेदन करने की तिथि शेष है, किन्तु यह उन पदों |
| | ्नहीं होगा, जिन पर चयन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है या जिन पदों पर विज्ञापन के |
| | आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। |
| , | • |
| | Secretary |
| | |
| | |
| İ | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 1 | |
| | |
| | |
| 1 | |
| ĺ | |
| | |
| 1 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 1 | |